धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात-अप्रैल, मई, जून, 2023

स्थापना आदेश,परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि

कुल -39 [स्थापना आदेश-सं. 42 से 75,(51 जारी नहीं हुआ), 2 कार्यालय आदेश,4 स्थापना परिपत्र

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई	
1	आदेश सं- 42/2023	27.04.2023	अनुवाद किया गया	AATP
2	आदेश सं- 43/2023	12.04.2023	अनुवाद किया गया	MK
3	आदेश सं- 44/2023	12.04.2023	अनुवाद किया गया	MK
4	आदेश सं- 45/2023	12.04.2023	अनुवाद किया गया	MK
5	आदेश सं- 46/2023	10.04.2023	अनुवाद किया गया	MK
6	आदेश सं- 47/2023	13.04.2023	अनुवाद किया गया	AATB
7	आदेश सं- 48/2023	28.04.2023	अनुवाद किया गया	CTB
8	आदेश सं- 49/2023	01.05.2023	अनुवाद किया गया	AATP
9	आदेश सं- 50/2023	09.05.2023	अनुवाद किया गया	CTB
	आदेश सं- 51/2023	--	जारी नहीं किया गया	–
10	आदेश सं- 52/2023	03.05.2023	अनुवाद किया गया	SJ
11	आदेश सं- 53/2023	04.05.2023	अनुवाद किया गया	SJ
12	आदेश सं- 54/2023	09.05.2023	अनुवाद किया गया	CTB
13	आदेश सं- 55/2023	01.06.2023	अनुवाद किया गया	CTB
14	आदेश सं- 56/2023	23.05.2023	अनुवाद किया गया	CTB
15	आदेश सं- 57/2023	30.05.2023	अनुवाद किया गया	AATP
16	आदेश सं- 58/2023	31.05.2023	अनुवाद किया गया	MK
17	आदेश सं- 59/2023	05.06.2023	अनुवाद किया गया	AATP
18	आदेश सं- 60/2023	02.06.2023	अनुवाद किया गया	MK
19	आदेश सं- 61/2023	12.06.2023	अनुवाद किया गया	MK
20	आदेश सं- 62/2023	05.06.2023	अनुवाद किया गया	MK
21	आदेश सं- 63/2023	14.06.2023	अनुवाद किया गया	CTB
22	आदेश सं- 64/2023	19.06.2023	अनुवाद किया गया	CTB
23	आदेश सं- 65/2023	14.06.2023	अनुवाद किया गया	AATP
24	आदेश सं- 66/2023	15.06.2023	अनुवाद किया गया	AATP
25	आदेश सं- 67/2023	22.06.2023	अनुवाद किया गया	MK
26	आदेश सं- 68/2023	23.06.2023	अनुवाद किया गया	MK
27	आदेश सं- 69/2023	23.06.2023	अनुवाद किया गया	MK
28	आदेश सं- 70/2023	23.06.2023	अनुवाद किया गया	MK
29	आदेश सं- 71/2023	26.06.2023	अनुवाद किया गया	CTB
30	आदेश सं- 72/2023	23.06.2023	अनुवाद किया गया	MK
31	आदेश सं- 73/2023	26.06.2023	अनुवाद किया गया	AATP
32	आदेश सं- 74/2023	26.06.2023	अनुवाद किया गया	AATP
33	आदेश सं- 75/2023	28.06.2023	अनुवाद किया गया	MK

MK- 14
AATP- 12
SJ - 2
CTB - 11
39

स्थापना परिपत्र

क्रम सं	स्थापना परिपत्र	दिनांक	कार्रवाई	
1	स्थापना परिपत्र	01.05.2023	अनुवाद किया गया	AATP
2	स्थापना परिपत्र	11.05.2023	अनुवाद किया गया	CTB
3	स्थापना परिपत्र	26.05.2023	अनुवाद किया गया	AATP
4	स्थापना परिपत्र	08.06.2023	अनुवाद किया गया	CTB

कार्यालय आदेश

क्रम सं	कार्यालय आदेश	दिनांक	कार्रवाई	
1	कार्यालय आदेश	05.06.2023	अनुवाद किया गया	AATP
2	कार्यालय आदेश	21.06.2023	अनुवाद किया गया	CTB

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्वविभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन,CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2021-Estt दिनांक :28.06.2023

आदेश सं.: 75/2022

विषय:केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपर /संयुक्त आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश सं. 14/2021 दिनांक 30.07.2021 (DGHRD/ADC-JC/20/201) एवं आदेश सं.61/2023 दिनांक 12.06.2023 के आंशिक संशोधन में केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपर /संयुक्त आयुक्तों के बीच में कार्य आवंटन में निम्नलिखित परिवर्तनों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

2. श्री अनवर अली टी.पी., अपर आयुक्त को,जो वर्तमान में सीसीओ-सीसीए (सीजीएसटी और सीएक्स, कोचीन आयुक्तालय का अतिरिक्त प्रभार) का प्रभार धारण करते हैं, सीसीओ-सीसीए का प्रभार सौंपा गया है। अपवंचनरोधी, अभियोजन, मुख्यालय और खेल (सीजीएसटी और सीएक्स, कोचीन आयुक्तालय) श्रीमती रानी सी.आर., अपर आयुक्त को सौंपे गए हैं।

3. तदनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, के अपर/संयुक्त आयुक्त के बीच संशोधित कार्य आवंटन नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	नाम व पदनाम सर्वश्री	सौंपे गए प्रभार	लिंक अधिकारी
1	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त	सीसीओ-सीसीए	राजेश्वरी आर.नायर,अपर आयुक्त
2	रानी सी आर, अपर आयुक्त	स्थापना, कार्मिक एवं सतर्कता, अपवंचनरोधी,मुकदमा,मुख्यालय, खेल, तकनीकी,सांख्यिकी एवं आसूचना, संसद प्रश्न,आरऍफ़डी, न्यायनिर्णयन कक्ष, डीजीएआरएम, सिस्टम्स, सिस्टम्स प्रबंधक, सीआरयू, राजभाषा, जीएसटी सेवा केंद्र, आधारिक संरचना कक्ष, स्वच्छ भारत, सुगम्य भारत, सत्यापन कक्ष, एर्णाकुलम, चालक्कुडी एवं त्रिश्शूर केन्द्रीय	शाजि जॉन,संयुक्त आयुक्त

		कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा लिगेसी कार्य, आयुक्त (सीजीएसटी और सीएक्स, कोचीन आयुक्तालय) द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य |	
3	शाजि जॉन, संयुक्त आयुक्त	लेखा परीक्षा, कर बकाया वसूली, प्रशिक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई), समीक्षा, प्रशासन, भविष्या, लेखा, विधिक, केंद्रीय अपील अधिकरण(सीएटी), आलुवा, पेरुम्बावूर, इडुक्की एवं काक्कनाड़ केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा सभी लिगेसी कार्य, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य | आयुक्त (सीजीएसटी और सीएक्स, कोचीन आयुक्तालय) द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य |	रानी सी आर, अपर आयुक्त

4. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है \|

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त,के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप /सहायक आयुक्त,के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख \|
4. अधीक्षक (सिस्टम्स)के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु \|

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2023-Estt दिनांक: .06.2023

स्थापना आदेश सं.: 74 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/82970)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2021 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 12.06.2023 की स्वीकृति पर, **ओबीसी** श्रेणी के तहत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12034/SSC/13/2021 - एडी-III.बी दिनांक 02.05.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार **श्री अरुण कुमार** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **26.06.2023 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री अरुण कुमार,** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री अरुण कुमार,** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

अन्वर अली

(अन्वर अली टी पी)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री अरुण कुमार,
सुपुत्र राम प्रकाश रेप्स्वाल,
बी -46, इंद्रा नगर,
झुंझुनु, राजस्थान -333001

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, कैंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2023-Estt दिनांक: .06.2023

स्थापना आदेश सं.: 73 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/82968)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2021 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 12.06.2023 की स्वीकृति पर, **ओबीसी** श्रेणी के तहत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12034/SSC/13/2021 - एडी-III.बी दिनांक 02.05.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार **श्री सर्बेश्वर सेनापती** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **26.06.2023 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री सर्बेश्वर सेनापती,** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री सर्बेश्वर सेनापती,** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

अन्वर अली

(अन्वर अली टी पी)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री सर्बेश्वर सेनापती,
सुपुत्र श्री रबीन्द्र सेनापती,
एटी-46/ए, मोहम्मदिया बाज़ार,
चांदिनी चौक डाक, लालबाग थाना,
कट्टक जिला, ओडिषा - 753002

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
4. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT. दिनांक: .06.2023

आदेश सं.: 72/2023

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	शत्रुघ्न कुमार	20.10.1989	मु., कोच्चि को स्था. आ. के तहत	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.,कोच्चि
2.	सुमीत कुमार वार्ष्णेय	09.02.1993	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था. आ. के तहत	सत्यापन कक्ष ,मु.कोच्चि
3.	ऐश्वर्या पी	03.03.1999	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था. आ. के तहत	चेम्बुक्काव रेंज
4.	अंकित तिवारी	10.07.1994	कवरत्ती रेंज	एर्णाकुलम मंडल
5.	विष्णु सत्यन	10.05.1990	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था. आ. के तहत	एर्णाकुलम रेंज 2
6.	राज खुंगुर बसुमतरी	27.12.1986	एर्णाकुलम मंडल	कवरत्ती रेंज
7.	सुधीर	30.09.1970	एर्णाकुलम रेंज 2	तोडुपुया रेंज
8.	श्रीकुमार पी एस	31.05.1982	परवूर रेंज	त्रिश्शूर मंडल
9.	अशोक कुमार सं.1	31.12.1985	विधिक अनुभाग, मु.कोच्चि	पेरुम्बावूर मंडल

10.	बेसिल फिलिप	10.01.1991	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को स्था. आ. के तहत	पीआरओ अनुभाग, मु.कोच्चि
11.	गौरव वत्स	31.12.1989	समीक्षा कक्ष,मु.कोच्चि	परवूर रेंज

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारियों द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को अपने नए स्थान पर 10.03.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. दिनांक **05.07.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि के अनुभागों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
5. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-ESTT दिनांक: 26.06.2023

आदेश सं.: 71 / 2023

विषय : कर सहायक के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित ।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्ककर सहायक के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (कुम.)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	डेल्षा रोस डेविस	20.08.1999	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय
2.	नीरजा एस नायर	23.04.1999	कार्यग्रहण करने पर	सीसीओ-सीसीए

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड /तिरुवनंतपुरम
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि
6. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप / सहायक आयुक्य
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक /लेखा परीक्षा आयुक्तालयों के उप / सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक /लेखा परीक्षा आयुक्तालय
4. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक /लेखा परीक्षा आयुक्तालय
5. अधीक्षक (सतर्कता), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक /लेखा परीक्षा आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स)- वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT. दिनांक: .06.2023

आदेश सं.: 70 / 2023

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण आदेश संख्या 68/2023 दिनांक 23.06.2023 जारी करने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	जन्म तिथि	...से	... को
1.	षानिमा ए आर	30.05.1989	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. आ. के तहत	काक्कनाड रेंज
2.	मणिकंठन वी	15.05.1973	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. आ. के तहत	एर्णाकुलम मंडल
3.	शुभा एच एस	12.05.1972	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. आ. के तहत	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.कोच्चि
4.	मनोज कुमार यादव	04.07.1982	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. आ. के तहत	लेखा परीक्षा अनुभाग, मु.कोच्चि
5.	राजेश कुमार	31.12.1980	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. आ. के तहत	एलूर रेंज
6.	अशोक कुमार	08.09.1980	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. आ. के तहत	इरिन्जालक्कुडा रेंज
7.	गोपीनाथ एन पी	22.09.1970	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. आ. के तहत	काक्कनाड मंडल
8.	राजकुमार सी के	15.05.1974	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. आ. के तहत	काक्कनाड मंडल
9.	गुलशन कुमार	08.11.1985	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. आ. के तहत	एर्णाकुलम रेंज 2
10.	प्रफुल भंडारी	28.03.1991	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. आ. के तहत	आलुवा रेंज
11.	प्रकाश एम	28.05.1971	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. आ. के तहत	एर्णाकुलम रेंज 3
12.	गीता के पी	28.01.1969	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. आ. के तहत	वंडीपेरियार रेंज

13.	सुनील वी टी	03.01.1968	कोच्चि आयुक्तालय को स्था. आ. के तहत	कोलेन्चेरी रेंज
14.	पेटरीस जोसफ	17.07.1969	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.कोच्चि	लेखा परीक्षा अनुभाग, मु.कोच्चि
15.	अखिल टी के	17.04.1991	सांख्यिकी अनुभाग, मु.,कोच्चि	समीक्षा कक्ष.मु., कोच्चि
16.	रेश्मी आर	20.05.1970	कर बकाया /आरटीआई/प्रशिक्षण अनुभाग,मु.,कोच्चि	समीक्षा कक्ष.मु., कोच्चि
17.	बिजु एम आर	14.04.1970	एर्णाकुलम रेंज 2	सांख्यिकी/ आरटीआई अनुभाग,मु.,कोच्चि
18.	अनिता सेतुनाथ	26.02.1965	लेखा परीक्षा अनुभाग,मु.कोच्चि	बकाया/प्रशिक्षण अनुभाग,मु., कोच्चि
19.	पद्मराजन नम्बियार सी	09.05.1971	एर्णाकुलम रेंज 3	एर्णाकुलम मंडल
20.	अब्दुल षमीर टी के	12.04.1972	एर्णाकुलम मंडल	एर्णाकुलम रेंज 1
21.	मेघा आर	27.05.1984	एर्णाकुलम मंडल	एर्णाकुलम रेंज 2
22.	जयंत बिश्वास	05.02.1975	कवरत्ती रेंज	एर्णाकुलम रेंज 5
23.	मोहन जोसफ	25.05.1968	लेखा परीक्षा अनुभाग, मु.कोच्चि	कवरत्ती रेंज
24.	सबीश सी पी	25.05.1984	एर्णाकुलम रेंज 2	काक्कनाड मंडल
25.	जयश्री एल	20.05.1976	एलूर रेंज	आलुवा मंडल
26.	फ्लेमिंग टी डी	02.11.1968	त्रिश्शूर रेंज	त्रिश्शूर मंडल
27.	इंदिरा एन एम	20.05.1971	चेम्बुक्काव रेंज	त्रिश्शूर मंडल
28.	वर्गीस जॉन	20.05.1969	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.,कोच्चि	त्रिश्शूर रेंज
29.	हरिकुमार पी	24.05.1969	त्रिश्शूर मंडल	चेम्बुक्काव रेंज
30.	सजीव के आर	25.05.1965	समीक्षा कक्ष.मु., कोच्चि	गुरुवायूर रेंज
31.	जयलक्ष्मी पी जी	09.04.1971	इरिन्जालक्कुडा रेंज	चालक्कुडी मंडल

2. नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभार मुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों को उनके नए तैनात स्थान पर दिनांक **30.06.2023** तक कार्यग्रहण करना है। अधिकारियां निर्धारित समय में कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षी अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. अपने तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदन नहीं लिया जाएगा।

4. दिनांक **05.07.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें ।

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त,कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई,तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ कोच्चि
7. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमाशुल्कनिवारक/ लेखापरीक्षा,कोच्चि के उप/सहायक आयुक्त
8. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
9. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT. दिनांक: 22.06.2023

आदेश सं.: 69 / 2023

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	बेसिल फिलिप	10.01.1991	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
2.	जज़ील एम सी	09.10.1994	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
3.	विष्णु सत्यन	10.05.1990	सीसीओ -सीसीए	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
4.	जितिन जोस	19.11.1993	सीसीओ -सीसीए	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
5.	सुमीत कुमार वार्ष्णेय	01.11.1987	सीसीओ -सीसीए	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
6.	मणी सिंह राठौर	11.08.1994	नई भर्ती (सीजीएलई 2020)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
7.	राहुल कुमार (सं.1)	09.06.1995	नई भर्ती (सीजीएलई 2020)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,

				तिरुवनंतपुरम
8.	जिंस पयस	16.01.1997	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
9.	ऐश्वर्या पी	03.03.1999	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
10.	संदीप एस	11.07.1998	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
11.	हिमांशु सिंह	29.04.1998	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय आयुक्तालय, कोच्चि *
12.	दानिश खान	19.07.1996	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय आयुक्तालय, कोच्चि #
13.	राहुल कुमार (सं.II)	15.11.1999	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
14.	राकेश कुमार बैरवा	12.03.1995	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
15.	गौरव उमातिया	11.08.1995	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
16.	विनोद मीना	22.08.1997	नई भर्ती (सीजीएलई 2021)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

* दिनांक 31.10.2023 तक केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड आयुक्त श्री मनीष चंद्र से संबद्ध ।

दिनांक 31.10.2023 तक केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा,कोच्चि आयुक्त श्री राजीव कुमार से संबद्ध ।

2. क्रम संख्या 6 और 7 पर उल्लिखित अधिकारी जो वर्तमान में एनएसीआईएन आंचलिक परिसर, कोच्चि में प्रेरण प्रशिक्षण ले रहे हैं, एनएसीआईएन आंचलिक परिसर, कोचीन से प्रशिक्षण और राहत पूरा होने पर संबंधित आयुक्तालय को रिपोर्ट कर सकते हैं जिसमें उन्हें स्थानांतरण और पोस्टिंग आदेश के अनुसार तैनात किया गया है |

3. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारियों द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को अपने नए स्थान पर 10.03.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

4. लेखा परीक्षा एवं डीजीजीआई कार्यालयों में तैनात अधिकारियों के मामले में, राहत अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारी उनकी राहत की तारीख को सतर्कता के दृष्टिकोण से साफ़ हैं।

5. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

6.यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

7. दिनांक **05.07.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय,कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई,तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
8. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ सीमाशुल्कनिवारक/ लेखापरीक्षा,कोच्चि के उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/सीसीपी/लेखा परीक्षा
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम /सीसीपी/ लेखा परीक्षा
11. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइटमेंअपलोडकरनेहेतु।

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT दिनांक:. .06.2023

आदेश सं.: 68/2023

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के आधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	षिनोज पी	17.04.1982	पदोन्नति पर	डीजीजीआई कोयिक्कोड आंचलिक इकाई
2.	षानिमा ए आर	30.05.1989	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
3.	मणीकंठन वी	15.05.1973	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
4.	शुभा एच एस	12.05.1972	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
5.	विल्लियम्स एम ए	08.03.1973	पदोन्नति पर	विमान पत्तन, कण्णूर, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय कोचिन में ही रखा गया(स्वस्थाने आधार पर)
6.	मनोज कुमार यादव	04.07.1982	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
7.	हरिप्रसाद ए के	01.06.1972	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
8.	दिलीप कुमार	01.03.1980	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय,कोच्चि*

9.	विक्रमादित्य कुमार	17.10.1982	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्को
10.	जिनेश के	07.11.1974	पदोन्नति पर	विमान पत्तन, कण्णूर, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन में ही रखा गया(स्वस्थाने आधार पर)
11.	राखी नायर	12.06.1976	पदोन्नति पर	विमान पत्तन, तिरुवनंतपुरम, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन में ही रखा गया(स्वस्थाने आधार पर)
12.	राजेश कुमार	31.12.1980	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
13.	वीरेंद्र कुमार	01.10.1979	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,तिरुवनंतपुरम
14.	अजिता कुमारी के एस	30.05.1973	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा आयुक्तालय,कोच्चि
15.	अशोक कुमार	08.09.1980	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
16.	मिराज के के	20.05.1972	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
17.	नवीन कुमार	04.10.1986	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
18.	षिबु वी एल	25.05.1975	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय,कोच्चि#
19.	लिजिन जे कमल	20.04.1980	पदोन्नति पर	डीजीजीआई कोच्चि क्षेत्रीय इकाई
20.	श्री बाबु	06.04.1985	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील आयुक्तालय,कोच्चि
21.	गोपीनाथ एन पी	22.09.1970	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
22.	संतोष टी एस	20.05.1980	पदोन्नति पर	सीसीओ-सीसीए
23.	प्रिया के के	11.12.1979	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,तिरुवनंतपुरम
24.	राजकुमार सी के	15.05.1974	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
25.	बिंदु रजित	14.05.1974	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील आयुक्तालय,कोच्चि
26.	प्रकाशन वी	25.03.1968	पदोन्नति पर	डीआरआई कण्णूर, आंचलिक इकाई में ही रखा गया (स्वस्थाने आधार पर)

27.	मंजु कृष्णदास	13.12.1986	पदोन्नति पर	डीजीजीआई ट्रिवेनड्रम आंचलिक इकाई में ही रखा गया (स्वस्थाने आधार पर)
28.	गुलशन कुमार	08.11.1985	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
29.	प्रफुल भंडारी	28.03.1991	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
30.	साकेत सिंह ढिल्लों	03.11.1984	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
31.	बादल गफूर ए	13.05.1986	पदोन्नति पर	विमान पत्तन, कोयिक्कोड, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन में ही रखा गया(स्वस्थाने आधार पर)
32.	प्रकाश एम	28.05.1971	सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
33.	गीता के पी	28.01.1969	सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
34.	सुनील वी टी	03.01.1968	सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
35.	अमित भारत	16.01.1981	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि	सीसीओ-सीसीए

* दिनांक 31.10.2023 तक केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड आयुक्त श्री मनीष चंद्र से संबद्ध ।

दिनांक 31.10.2023 तक केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा,कोच्चि आयुक्त श्री राजीव कुमार से संबद्ध ।

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारियों द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को अपने नए स्थान पर **05.07.2023** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3.लेखा परीक्षा एवं डीजीजीआई कार्यालयों में तैनात अधिकारियों के संबंध में, नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है, वे अपनी राहत की तिथि को सतर्कता दृष्टिकोण से साफ़ हैं।

4. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

5.यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

6. दिनांक **07.07.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय,कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई,तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
8. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ सीमाशुल्कनिवारक/ लेखापरीक्षा,कोच्चि के उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्यलेखाअधिकारी / वेतनएवंलेखाअधिकारी,केन्द्रीयकरकेन्द्रीयउत्पादशुल्क,कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/सीसीपी/लेखा परीक्षा
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम /सीसीपी/ लेखा परीक्षा
11. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइल सं,II(3)/APPT/25/2020 दिनांक: .06.2023

आदेश सं.: 67/2023

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को,ऐसे भत्ते,जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / -सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये(वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में,ग्रुप'बी' पद, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में **तदर्थ और इन-सीटू आधार पर** उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि
1	संतोष टी एस	20.05.1980
2	प्रिया के के	11.12.1979
3	राजकुमार टी एस	15.05.1974
4	बिंदु रजित	14.05.1974
5	प्रकाशन वी	25.03.1968
6	मंजु कृष्णदास	13.12.1986
7	गुलशन कुमार	08.11.1985
8	प्रफुल भंडारी	28.03.1991
9	साकेत सिंह ढिल्लों	03.11.1984
10	बादल गफूर ए	13.05.1986

2. उपर्युक्त अधिकारियों को तत्काल तथा दिनांक **03.07.2023** तक उच्च पद ग्रहण करना चाहिए |

3. अधीक्षक की श्रेणी में निरीक्षक की पदोन्नति 28.03.2012 के OP(CAT)सं.4305/2011,OP(CAT)सं.999/2012,OP(CAT)सं.998/2012, OP(CAT) सं.968/2012,कैट (ई.बी.)में OAसं.180/00806/2014में जारी उच्च न्यायालय आदेश तथा संबधित न्यायालय /अधिकरण के अन्य लंबित केसों के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किए गए SLP No.20810/ 2012के निर्णयों के फलस्वरूप होगी।

4. अधिकारी केकार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **07.07.2023** तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए ।

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डी जी जी आई /डी आर आई आंचलिक इकाई ,कोच्चि
7. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप/सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड / सीसीपी / ले.प., कोच्चि में कार्यरत उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि /तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/सीसीपी/ ले.प.,कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय),कोच्चि/ कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/ सीसीपी/ ले.प.
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2023-Estt दिनांक: .06.2023

स्थापना आदेश सं.: 66 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/82957)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2021 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 12.06.2023 की स्वीकृति पर, **अनारक्षित** श्रेणी के तहत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12034/SSC/13/2021 - एडी-III.बी दिनांक 02.05.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार **कु.नीरजा एस नायर** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **13.06.2023 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **कु.नीरजा एस नायर,** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **कु.नीरजा एस नायर,** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

अन्वर अली

(अन्वर अली टी पी)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

कु.नीरजा एस नायर,
सुपुत्री पी एस शशिकुमार,
ज्योतिस हाउस, कूरडा,
त्रिक्कानापुरम डाक, कुट्टिप्पुरम,
मलप्पुरम, केरल - 679573

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2023-Estt दिनांक: .06.2023

स्थापना आदेश सं.: 65 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/82956)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2021 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 12.06.2023 की स्वीकृति पर, **अनारक्षित** श्रेणी के तहत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12034/SSC/13/2021 - एडी-III.बी दिनांक 02.05.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार **कु.डेल्षा रोस डेविस** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **13.06.2023 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **कु.डेल्षा रोस डेविस,** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **कु.डेल्षा रोस डेविस,** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

अन्वर अली

(अन्वर अली टी पी)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

कु.डेल्षा रोस डेविस,
सुपुत्री डेविस ई ए,
ईरेत, कोल्लमूला, चातनतरा डाक,
पत्तनमतिट्टा, केरल - 686510

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT दिनांक: .06.2023

आदेश सं.: 64 / 2023

विषय : - हवलदार के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हवलदार के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सुश्री/ सर्वश्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	...से	... को
1	अजिता वी पी	06.05.1969	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
2	मुरली के	05.05.1966	कार्यग्रहण करने पर	सीसीओ-सीसीए
3	वसंता करुवालम	24.04.1966	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
	श्यामालता के वी	15.03.1970	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम
3. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा, कोच्चि

4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
5. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील, कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालयों के उप /सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
5. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि / कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/21/2023 - ESTT दिनांक: .06.2023

आदेश सं.: 63 / 2023

विषय : - मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मल्टी -टास्किंग स्टाफ के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (श्री)	जन्मतिथि	...से	... को
1	जितिन चारुदेव के वी	21.05.1992	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	आयुक्त की इकाई, मु.,कोच्चि

2. अधिकारी को अपने नए तैनाती स्थान पर दिनांक 23.06.2023 तक कार्यभार ग्रहण करना चाहिए।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है ।

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(सतर्कता/सिस्टम्स/मु.) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/26/2021-ESTT. दिनांक: 02.06.2023

आदेश सं.: 62/2023

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	शत्रुघ्न कुमार	20.10.1989	पेरुम्बावूर मंडल	मु., कोच्चि आयुक्तालय

2. अधिकारियों को अपने नए स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए |
3. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारियों द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके |
4. दिनांक 05.06.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. सहायक आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पेरुम्बवूर मंडल
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता), कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्वविभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन,CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/29/2021-Estt दिनांक :12.06.2023

आदेश सं.: 61 / 2022

विषय:केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपर /संयुक्त आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश सं. 86/2022 दिनांक 11.10.2022 के आंशिक संशोधन में केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अपर /संयुक्त आयुक्तों के बीच में कार्य आवंटन में निम्नलिखित परिवर्तनों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

2. श्रीमती रानी सी.आर., अतिरिक्त आयुक्त उन सभी प्रभारों को संभालेंगी जो विधिक, कैट और अलुवा मंडल के पर्यवेक्षण को छोड़कर डॉ. जे.हरीश, अपर आयुक्त के पास थे। स्थापना, कार्मिक और सतर्कता, जीएसटी सेवा केंद्र, जीएसटी कक्ष, आधारिक संरचना कक्ष, स्वच्छ भारत, सुगम्य भारत, सत्यापन कक्ष, प्रशासन, भविष्य, लेखा और त्रिशूर मंडल के पर्यवेक्षण के साथ-साथ न्यायनिर्णयन और इस मंडल के सभी लिगेसी कार्य के प्रभार भी श्रीमती रानी सी.आर.अपर आयुक्त को सौंपे गए हैं । विधिक, कैट और अपवंचनरोधी, अभियोजन, मुख्यालय और खेल (सीजीएसटी और सीएक्स, कोचिन आयुक्तालय) श्रीमती रानी सी.आर., अपर आयुक्त को सौंपे गए हैं। आलुवा एवं इडुक्की का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा सभी लिगेसी कार्य श्री शाजी जॉन, संयुक्त आयुक्त को सौंपे गए हैं ।

3. तदनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अपर/संयुक्त आयुक्त के बीच संशोधित कार्य आवंटन नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	नाम व पदनाम सर्वश्री	सौंपे गए प्रभार	लिंक अधिकारी	
1	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त	अपवंचनरोधी,मुकदमा,मुख्यालय, खेल, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।	रानी सी आर, अपर आयुक्त	शाजि जॉन, संयुक्त आयुक्त
2	रानी सी आर, अपर आयुक्त	स्थापना, कार्मिक एवं सतर्कता, तकनीकी,सांख्यिकी एवं आसूचना, संसद प्रश्न,आरऍफ़डी, न्यायनिर्णयन कक्ष, डीजीएआरएम, सिस्टम्स, सिस्टम्स प्रबंधक, सीआरयू, राजभाषा, जीएसटी	शाजि जॉन,संयुक्त आयुक्त	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त

		सेवा केंद्र, आधारिक संरचना कक्ष, स्वच्छ भारत, सुगम्य भारत, सत्यापन कक्ष,प्रशासन.भविष्या, लेखा, एर्णाकुलम, चालक्कुडी एवं त्रिश्शूर केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा लिगेसी कार्य, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।		
3	शाजि जॉन, संयुक्त आयुक्त	लेखा परीक्षा, कर बकाया वसूली, प्रशिक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई), समीक्षा, विधिक, केंद्रीय अपील अधिकरण(सीएटी), आलुवा, पेरुम्बावूर, इडुक्की एवं काक्कनाड़ केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडलों का पर्यवेक्षण, इन मंडलों के न्यायनिर्णयन तथा सभी लिगेसी कार्य, आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य । आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य ।	रानी सी आर, अपर आयुक्त	अन्वर अली टी पी, अपर आयुक्त

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त,के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप /सहायक आयुक्त,के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख ।
4. अधीक्षक (सिस्टम्स)के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्वविभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन,CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt दिनांक: 02.06.2023

आदेश सं.: 60/2023

विषय:केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के उप /सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश संख्या 3/2023 दिनांक 04.01.2023 के आंशिक संशोधन में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप / सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन में निम्नलिखित परिवर्तनों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है:

2. श्री माइकल टी एच, सहायक आयुक्त को विधिक और डीजीएचआरएम का प्रभार सौंपा गया है। श्री रंजित शांतकुमार, सहायक आयुक्त को न्यायनिर्णयन और समीक्षा का प्रभार सौंपा गया है। श्रीमती एन एस जयश्री, सहायक आयुक्त को तकनीकी, ससंद प्रश्न, आरऍफ़डी एवं सांख्यिकी का प्रभार सौंपा गया है। श्रीमती अजिता पी, सहायक आयुक्त को प्रशासन, आधारिक संरचना, सीआरयू, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सूचना अधिकार (केंद्रीय जन सूचना अधिकारी) एवं प्रशिक्षण का प्रभार सौंपा गया है। श्री एम शरतचंद्रन, सहायक आयुक्त को अपवंचनरोधी, मुकदमा एवं सत्यापन कक्ष का प्रभार सौंपा गया है। श्री आर षैजु, सहायक आयुक्त को लेखा परीक्षा एवं कर बकाया वसूली का प्रभार सौंपा गया है। श्रीमती माया चंद्रन, सहायक आयुक्त को आलुवा मंडल का प्रभार सौंपा गया है। श्रीमती शांति वी.,उप आयुक्त को काक्कनाड मंडल का प्रभार सौंपा गया है। श्री अनिल राज आर., उप आयुक्त को पेरुम्बावूर मंडल का प्रभार सौंपा गया है। श्री रॉय वर्गीस, सहायक आयुक्त को मुख्यालय का प्रभार सौंपा गया है।

3. तदनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच संशोधित कार्य आवंटन/लिंक अधिकारी नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	सी.टी. बिंदु	का.व सत., सिस्टम्स,	माइकल टी एच	एम शरतचंद्रन
2	माइकल टी एच	विधिक और डीजीएचआरएम	एन. एस. जयश्री	सी.टी. बिंदु
3	रंजित शांतकुमार	न्यायनिर्णयन और समीक्षा	अजिता पी	आर षैजु
4	एन. एस. जयश्री	तकनीकी, ससंद प्रश्न, आरऍफ़डी एवं सांख्यिकी	रंजित शांतकुमार	अजिता पी

5	अजिता पी	प्रशासन, आधारिक संरचना, सीआरयू, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सूचना अधिकार (केंद्रीय जन सूचना अधिकारी) एवं प्रशिक्षण	आर बैजु	रंजित शांतकुमार
6	एम शरतचंद्रन	अपवंचनरोधी, मुकदमा एवं सत्यापन कक्ष	सी.टी. बिंदु	माइकल टी एच
7	आर बैजु	लेखा परीक्षा, कर बकाया वसूली	एम शरतचंद्रन	एन. एस. जयश्री
8	माया चंद्रन	आलुवा मंडल	माया कुरियन	शांति वी
9	हारिसण एंटणी	एर्णाकुलम मंडल	शांति वी	अनिल राज आर
10	शांति वी	काक्कनाड़ मंडल	काक्कनाड़ मंडल	हारिसण एंटणी
11	माया कुरियन	चालक्कुडी मंडल	दीपक कुमार	रॉय वर्गीस
12	दीपक कुमार	त्रिश्शूर मंडल	माया चंद्रन	माया कुरियन
13	अनिल राज आर	पेरुम्बावूर मंडल	रॉय वर्गीस	दीपक कुमार
14	रॉय वर्गीस	इडुक्की मंडल, कल्याण, खेल एवं मुख्यालय	अनिल राज आर	शांति वी

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त,के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप /सहायक आयुक्त,के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख |
4. अधीक्षक (सिस्टम्स)के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु |

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/26/2021-ESTT. दिनांक: 05.06.2023

आदेश सं.: 59/2023

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री श्रीमती)	पदनाम	जन्म तिथि	:..से	... को
1.	गौरव वत्स	निरीक्षक	31.12.1989	सीसीओ-सीसीए आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली से संप्रत्यावर्तन पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोचिन (समीक्षा कक्ष)
2.	गुंडु दिनेश कुमार	निरीक्षक	20.08.1989	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोचिन (समीक्षा कक्ष)	सीसीओ-सीसीए

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारियों द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को अपने नए स्थान पर **तत्काल** कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4.यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. दिनांक **05.06.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

[अन्वर अली टी पी]
अपर आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय,कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई,तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ कोच्चि
7. केंद्रीयकरएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्क,कोच्चिकेमंडलकार्यालयोंकेप्रभारी उप/सहायकआयुक्त
8. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ सीमाशुल्कनिवारक/ लेखापरीक्षा,कोच्चि के उप/सहायकआयुक्त
9. मुख्यलेखाअधिकारी / वेतनएवंलेखाअधिकारी,केन्द्रीयकरकेन्द्रीयउत्पादशुल्क,कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/सीसीपी/लेखा परीक्षा
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम /सीसीपी/ लेखा परीक्षा
11. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइटमेंअपलोडकरनेहेतु।

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइल सं.II/(3)/5/2020-Estt दिनांक: 31.05.2023

आदेश सं.: 58 /2023

विषय : कार्यकारी सहायक के ग्रेड में पदोन्नति - संबन्धित।

दिनांक 30.05.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की समीक्षा बैठक में मंत्रालय के पत्र फाइल सं.ए.12018/01/2012 एडी III.बी दिनांक 15.05.2023 को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी सहायकों के ग्रेड में कर सहायकों को पदोन्नति देने के लिए दिनांक 30.12.2022 को आयोजित डीपीसी की बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई।

2. उपरोक्त समीक्षा डीपीसी के निष्कर्षों के अनुसार, निम्नलिखित अधिकारी, जिन्हें मूल रूप से आदेश संख्या 84/2017 दिनांक 31.03.2017 के तहत वरिष्ठ कर सहायक (कार्यकारी सहायक के रूप में फिर से नामित) के ग्रेड में पदोन्नत किया गया था, को एतद्द्वारा अनंतिम रूप से कार्यकारी सहायक (समूह 'ख' अराजपत्रित) के ग्रेड में पुनर्गठित किया गया है, चूंकि पूर्ववर्ती वरिष्ठ कर सहायक को उनकी पदोन्नति न्यायाधीन है और उन्हें उन अधिकारियों से ऊपर लिया जा सके, जिन्हें मंत्रालय द्वारा पत्र एफ.सं.ए.12018/01/2012 एडी.III.बी दिनांक 15.05.2023 के माध्यम से दी गई अर्हक सेवा में छूट के आधार पर कार्यकारी सहायक के ग्रेड में पदोन्नत किया जाना है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पदस्थापना का वर्तमान स्थान	एसटीए के रूप में पदोन्नति की पूर्व तिथि (पुन: नामित कार्यकारी सहायक)	कार्यकारी सहायक के रूप में पदोन्नति की संशोधित तिथि
1	अंजु के यू	तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय	01.04.2017	*
2	नाजिया पी ए	कोच्चि आयुक्तालय	01.04.2017	*
3	आनंद बाबु	कोच्चि आयुक्तालय	01.04.2017	*
4	लव सिंह	कोच्चि आयुक्तालय	01.04.2017	*
5	सेतु आर	कोच्चि आयुक्तालय	01.04.2017	*
6	सुजाता ई	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	01.04.2017	*
7	इन्दुलाल पी वी	तिरुवनंतपुरम	01.04.2017	*

		आयुक्तालय		
8	पोन्नी चंद्रन	तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय	01.04.2017	*
9	शबरीनाथ वी एस	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	01.04.2017	*
10	मुनीर के	कोयिक्कोड आयुक्तालय	01.04.2017	*
11	मैथ्यूस एम पौलोस	डीजीजीआई, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई	01.04.2017	*
12	बोणी मैथ्यू	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	01.04.2017	*
13	जास्मिन बषीर कावपुरयिल	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	01.04.2017	*

*माननीय कैट, एर्णाकुलम बेंच के समक्ष श्री नवनीत मोहन और अन्य द्वारा दायर O.A सं.550/2019 के परिणाम के अधीन, जिसे माननीय सीएटी, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (O.A.No.1718/2020) में अंतरित कर दिया गया है।

3. क्रम सं. 1,2,3,25,26,27,28 और 36 में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारी, जिन्हें मूल रूप से वरिष्ठ कर सहायक (कार्यकारी सहायक के रूप में पुन: नामित) के ग्रेड में आदेश संख्या 84/2017 दिनांक 31.03.2017 और आदेश संख्या 127/2017 दिनांक 15.06.2017 के अनुसार एतद्द्वारा अनंतिम रूप से कार्यकारी सहायक (समूह 'ख' अराजपत्रित) के ग्रेड में नियमित किया जाता है और क्रम सं. 4 से 24 और 29 से 35 और 37 में उल्लिखित निम्नलिखित कर सहायकों को वेतन मैट्रिक्स (35,400-1,12,400) के स्तर-6 में कार्यकारी सहायक (समूह 'ख' अराजपत्रित) के ग्रेड में एतद्द्वारा काल्पनिक रूप से ऐसे भत्तों के साथ जो लागू हो सकते हैं, उनके नामों के सामने उल्लिखित संशोधित तिथियों से पदोन्नत किया जाता है|

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पदस्थापना का वर्तमान स्थान	एसटीए के रूप में पदोन्नति की पूर्व तिथि (पुन: नामित कार्यकारी सहायक)	कार्यकारी सहायक के रूप में पदोन्नति की संशोधित तिथि
1	अरुण कुमार एस	तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय	01.04.2017	*
2	सुनील कुमार	कोच्चि आयुक्तालय	01.04.2017	*
3	जिनी रसाक वी ए	लेखा परीक्षा आयुक्तालय	01.04.2017	*
4	नाज़िया वी ए	तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
5	प्रियंक मित्तल	कोयिक्कोड आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
6	विपिन कुमार	कोयिक्कोड	-	30.12.2022

		आयुक्तालय		(अपराह्न)
7	दुर्गेश कुमार जांगिड	कोच्चि आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
8	गौरव प्रताप सिंह	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	-	30.12.2022 (अपराह्न)
9	गौतम कुमार	कोयिक्कोड आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
10	पंकज यादव	कोच्चि आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
11	विकास कुमार	कोयिक्कोड आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
12	मोहित कुंद्रा	कोच्चि आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
13	रोबिन एस	लेखा परीक्षा आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
14	वी प्रबीन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	-	30.12.2022 (अपराह्न)
15	इंदु रमेश	डीआरआई कोच्चि क्षेत्रीय इकाई	-	30.12.2022 (अपराह्न)
16	संदीप	तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
17	जितिन यू नाथ	तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
18	कपिल शर्मा	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	-	30.12.2022 (अपराह्न)
19	रोहित	कोच्चि आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
20	आशीष कुमार सिंह	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	-	30.12.2022 (अपराह्न)
21	अत्रिपत्री विश्वतेजा	लेखा परीक्षा आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
22	दीपक कुमार	अपील आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
23	रीमा सोलंकी	कोच्चि आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
24	शशिकुमार के पी	कोच्चि आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)

25	राजेनन जी	तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय	01.04.2017	*
26	नीलिमा सत्यन	अपील आयुक्तालय	01.04.2017	*
27	नवनीत मोहन	कोयिक्कोड आयुक्तालय	01.04.2017	*
28	राजी ऑस्टिन	तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय	01.04.2017	*
29	सुधीश कुमार के	कोयिक्कोड आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
30	साली लूकोस	कोच्चि आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
31	जाफिर चीमाडन	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	-	30.12.2022 (अपराह्न)
32	राजेश एन वी	कोच्चि आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
33	सुरेश ई	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन	-	30.12.2022 (अपराह्न)
34	बषीर सी एम	कोयिक्कोड आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
35	बिजली बाबु	कोच्चि आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)
36	नाज़िया सुल्ताना	मुख्य आयुक्त कार्यालय	01.04.2017	*
37	लीना सिंह	कोच्चि आयुक्तालय	-	30.12.2022 (अपराह्न)

*माननीय कैट, एर्णाकुलम बेंच के समक्ष श्री नवनीत मोहन और अन्य द्वारा दायर O.A सं.550/2019 के परिणाम के अधीन, जिसे माननीय सीएटी, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (O.A.No.1718/2020) में अंतरित कर दिया गया है।

4. अधिकारियों को दिनांक **12.06.2023** को या उससे पहले पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करना चाहिए| पैरा 3 में क्रम सं. 4 से 24 और 29 से 35 और 37 में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारी को पदोन्नत पद में कार्यग्रहण करने की तारीख से एक महीने के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.09.1981,05.07.1999 और 27.07.2017 के अनुसार वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग करना होगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा | पैरा 2 में क्रम सं. 1 से 13 और. पैरा 3 में निर्धारण क्र.सं 1,2,3,25,26,27,28 और 36 में उल्लिखित अधिकारियों के संबंध में वेतन निर्धारण एर्णाकुलम बेंच के समक्ष श्री नवनीत मोहन और अन्य द्वारा दायर O.A सं. 550/2019 के अंतिम परिणाम के अधीन होंगे, जिसे माननीय सीएटी, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (O.A.No.1718/2020)) में अंतरित कर दिया गया है।

5. अधिकारी कल्पित पदोन्नति की तारीख से वेतन निर्धारण के लिए पात्र हैं। लेकिन कार्यकारी सहायक के ग्रेड में कार्यग्रहण करने की तारीख तक कोई बकाया स्वीकार्य नहीं होगा।

6. यह नियमितीकरण/पदोन्नति आदेश .एर्णाकुलम बेंच के समक्ष श्री नवनीत मोहन और अन्य द्वारा दायर O.A सं. 550/2019 के परिणाम के अधीन है जिसे माननीय सीएटी, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (O.A.No.1718/2020) में अंतरित करं दिया गया है।

7. अधिकारियों के कार्यग्रहण करने / कार्यग्रहण न करने के संबंध में नियंत्रक अधिकारियों / संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट **16.06.2023** तक इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ अपील /सीसीपी |

प्रति :

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड / सीसीपी / ले.प., कोच्चि/अपील में कार्यरत उप/सहायक आयुक्त
2. अधीक्षक (सतर्कता /सिस्टम्स) केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि /तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड / सीसीपी / ले.प., कोच्चि/अपील
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि /तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/सीसीपी/ ले.प.,कोच्चि/अपील
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail:cexcochi@nic.in Fax:0484-2390608 Phone:0484 2390404

GEXCOM II/(39)/155/2021-Estt दिनांक: 30.05.2023

आदेश सं.: 57/2023

विषय : अंशकालिक अनियत मजदूरों का नियमितीकरण - हवलदार ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित।

बोर्ड के पत्र फाइल सं. C.18013/25/2009- AD.IIIB दिनांक 05.12.2022 के अनुसार और दिनांक 30.05.2023 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान, जिसमें सीबीआईसी 2020 की अंशकालिक अनियत मजदूर (नियमितीकरण) योजना के तहत अंशकालिक अनियत मजदूरों के नियमितीकरण पर विचार किया गया था, समिति द्वारा दिए गए सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित अंशकालिक अनियत मजदूरों को वेतन मैट्रिक्स (18,000-56,900) में स्तर-1 में चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन और ऐसे भत्ते सहित जो भारत सरकार द्वारा पद में कार्यग्रहण करने की तारीख से स्वीकृत किए जा सकते हैं, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार (समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय) के रूप में कार्य करने के लिए एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है ।

क्रम सं.	नाम(सर्वश्री /श्रीमती)	जन्मतिथि	श्रेणी
1.	अजिता वी पी	06.05.1969	अ.जा.
2.	मुरली के	05.05.1966	अ.जा.
3.	वसंता करुवालम	24.04.1966	अ.जा.
4.	श्यामलता के वी	15.03.1970	अ.जा.

2. यदि वे इस प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें दिनांक **09.06.2023** को या उससे पहले उपायुक्त (का व सत), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय राजस्व भवन, आई एस प्रेस रोड, कोच्चि के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। यदि वे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं, तो नियुक्ति के इस आदेश को रद्द माना जाएगा।

3. आपको ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करते समय निम्नलिखित दस्तावेज (मूल रूप में), फोटोकॉपी के 3 (तीन) सेट के साथ, लाने की आवश्यकता है:

(क) जन्म तिथि दर्शाने वाला मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल प्रमाण पत्र |

(ख) शैक्षिक योग्यता और विभिन्न स्तरों पर अध्ययन किए गए विषय भी दर्शाने वाले अन्य सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र |

(ग) अनुभव के संबंध में आपके दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र और अतिरिक्त पाठ्यचर्या

गतिविधियों के बारे में प्रमाण पत्र ।

(घ) अ.ज. / अ.ज.जा./ अ.पि.व./ आर्थिक रूप से पि.व./ भूतपूर्व सैनिक / पीडब्ल्यूडी के रूप में आपके दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।

(ङ) आधार कार्ड

4. आपको निम्नलिखित दस्तावेज भी लाने होंगे। [दस्तावेजों का प्रारूप कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है - *http://www.cenexcisekochi.gov.in/ssc-recruitment/]*

(क) पहचान प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-II) के साथ सत्यापन फॉर्म की 3 (तीन) प्रतियां पूरी तरह से भरी हुई हैं। हचान प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र तीन अलग-अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त किया जाना है।

(ख) आपको 'अनुबंध-I' में दी गई सेवा की शर्तों को स्वीकार करना चाहिए

(ग) आपको निर्धारित चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा और एक चिकित्सा अधिकारी से, जो सिविल सर्जन के पद से नीचे का न हो, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा| (अनुलग्नक-III - उम्मीदवार विवरण और घोषणा और चिकित्सा प्रमाणपत्र) **प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**

5. उन्हें सूचित किया जाता है कि हवलदार ग्रेड में उनकी नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी और अनंतिम आधार पर है और वे बिना कोई कारण बताए किसी भी समय सेवा से मुक्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।

6. उन्हें आगे सूचित किया जाता है कि वे दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह उचित समझे, परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है।

7. कार्यभार ग्रहण करते समय विभाग उम्मीदवार को कोई यात्रा या अन्य व्यय नहीं देगा।

अन्वर अली

[अन्वर अली टी पी]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

1. श्रीमती अजिता वी.पी., अंशकालिक अनियत मजदूर, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
2. श्री मुरली के., अंशकालिक अनियत मजदूर, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. श्रीमती वसंता करुवालम, अंशकालिक अनियत मजदूर, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
4. श्रीमती श्यामलता के वी., अंशकालिक अनियत मजदूर, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन

[संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि सीमा शुल्क निवारक आयुक्त,कोच्चि /तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/अपील/ सीसीपी

प्रति :

1. अपर/संयुक्त आयुक्त [का व सत], केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड/ सीसीपी

2. कोच्चि /तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/अपील/सीसीपी आयुक्तालयों के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सहायक /उप आयुक्त
3. अधीक्षक (सतर्कता/सिस्टम्स), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/अपील/सीसीपी
4. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा/अपील/सीसीपी
5. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि।

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt **दिनांक: 23.05.2023**

आदेश सं.: 56 / 2023

विषय : आशुलिपिक ग्रेड- II की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

आशुलिपिक ग्रेड- II की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है ।

क्र. सं.	नाम (श्रीमती)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	...को
1	शिखा मल्होत्रा	25.11.1991	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय में स्थानांतरण के आदेश के तहत	संयुक्त आयुक्त (ले.प.), मु.कोच्चि का आशुलिपिक ग्रेड- II

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. संयुक्त आयुक्त (लेखा परीक्षा), केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि

प्रतिलिपि

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
2. अधीक्षक (सिस्टम्स/सतर्कता), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/21/2023 - ESTT दिनांक: .05.2023

आदेश सं.: 55 / 2023

विषय : - मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम के मल्टी -टास्किंग स्टाफ के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (श्री)	जन्मतिथि	...से	... को
1	अनंत कृष्णन एच	14.12.1996	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,तिरुवनंतपुरम
2	जितिन चारुदेव के वी	21.05.1992	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि

2. अधिकारी को अपने नए तैनाती स्थान पर दिनांक 12.06.2023 तक कार्यभार ग्रहण करना चाहिए।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है |

4. दिनांक 16.06.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम
3. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा,कोच्चि

4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
5. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप /सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि/ कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि/ कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
5. अधीक्षक(सतर्कता.) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोच्चि/ कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) - वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
7. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt **दिनांक: 08.05.2023**

आदेश सं.: 54 / 2023

विषय : आशुलिपिक ग्रेड- II की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

आशुलिपिक ग्रेड- II की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है ।

क्र. सं.	नाम (श्रीमती)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	...को
1	शिखा मल्होत्रा	25.11.1991	सीसीओ-सीसीए(डीजीजीएसटी, नई दिल्ली से संप्रत्यावर्तन पर)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में
सम्बंधित व्यक्ति (सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
2. अधीक्षक (सिस्टम्स/सतर्कता), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/13/2023-Estt दिनांक: .05.2023

स्थापना आदेश सं.: 53 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /मल्टी टास्किंग स्टाफ /82412)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से मल्टी-टास्किंग स्टाफ के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 25.04.2023 की स्वीकृति पर, **अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी** के तहत मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा फा.सं. N-N.11018/10/2023 –Nomination दिनांक 05.04.2023 के माध्यम से नामांकित एक उम्मीदवार **श्री जितिन चारुदेव के वी** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 1 में (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **04.05.2023 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री जितिन चारुदेव के वी,** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री जितिन चारुदेव के वी,** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

शाजि जॉन

[शाजि जॉन]
संयुक्त आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री जितिन चारुदेव के वी,
सुपुत्र विजयन के ए,
कडाशेरिल हाउस, मन्नम डाक,
उत्तर परवूर, एर्णाकुलम,
केरल - 683520

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/13/2023-Estt दिनांक: .05.2023

स्थापना आदेश सं.: 52 / 2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स /कोच्चि /मल्टी टास्किंग स्टाफ /82411)

विषय :- एसएससी मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ़ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) परीक्षा, 2021 के माध्यम से मल्टी-टास्किंग स्टाफ के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 25.04.2023 की स्वीकृति पर, **अनारक्षित** श्रेणी के तहत मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा फा.सं. N-N.11018/10/2023 –Nomination दिनांक 05.04.2023 के माध्यम से नामांकित एक उम्मीदवार **श्री अनंत कृष्णन एच** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 1 में (रु.18,000- रु.56,900) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **03.05.2023 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2. **श्री अनंत कृष्णन एच,** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री अनंत कृष्णन एच,** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

[शाजि जॉन]
संयुक्त आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री अनंत कृष्णन एच,
सुपुत्र जी हरी,
सूर्यकान्तम, ओट्टक्काल डाक,
तेन्मला, कोल्लम,
केरल - 691308

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्वविभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन,CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(39)/72/2021-Estt **दिनांक: .05.2023**

आदेश सं.: 50/2023

विषय :एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना-सं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 35034/3/2008-Estt(D) दिनांक 19-05-2009 और वित्त मंत्रालय के पत्र F.No.A-26017/76/2009-Ad.II.A दिनांक 17.6.2009 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारीयों को एम् ए सी पी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में निकटतम अगले उच्च ग्रेड वेतन में या वेतन मैट्रिक्स में निकटतम अगले उच्च स्तर में (जैसा भी मामला हो) उनके नामों के सामने सूचित दिनांक से प्रदान किया जाता है।

क्रम सं. (1)	नाम व पदनाम (सर्वश्री /श्रीमती) (2)	जन्म तिथि (3)	वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन) (4)	वित्तीय उन्नयन की नियत तिथि (5)	अनुशंसित ग्रेड पे और पे बैंड / पे मैट्रिक्स स्तर (6)
1.	श्री पी के अब्दुल करीम, हवालदार	10.01.1996	तृतीय	01.10.2021	स्तर - 4

2. इस अधिकारी को वित्तीय उन्नयन अन्य बातों के साथ, निम्न शर्तों के आधार पर दिया जाता है:

2.1 लाभार्थी को दिये गए वित्तीय उन्नयन से उनके पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यह वित्तीय लाभ उनके पुराने पदनाम को बनाए रखते हुये प्रदान किया गया है और कथित वित्तीय उन्नयन, उच्च स्तर से संबन्धित कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा।

2.2 एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अधिकारी के लिए पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है और संबन्धित अधिकारी को वास्तविक कार्यात्मक पदोन्नति प्रदान नहीं करेगा और यह उनके अंतर वरिष्ठता पदोन्नति से संबद्धता नहीं रखेगा और इस कारण एमएसीपी योजना के तहत कनिष्ठ अधिकारी को उच्च वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा। एम ए सी पी योजना में **'वरिष्ठ-कनिष्ठ'** की धारणा का आशय नहीं है।

2.3 वित्तीय उन्नयन के हकदार होने से पहले यदि अधिकारी ने प्रदत्त नियमित पदोन्नति से इंकार किया हो तो वित्तीय उन्नयन प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अधिकारी अवसर की कमी के कारण वृद्धिरुद्ध नहीं हुये हैं। लेकिन यदि वित्तीय उन्नयन वृद्धिरुद्धता के कारण प्राप्त हुआ है और उसके बाद यदि अधिकारी पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तो यह वित्तीय उन्नयन वापस लेने का कारण नहीं बनेगा। इस कारण जब वे फिर से पदोन्नति के लिए सहमत होंगे तभी उन्हें आगे के वित्तीय उन्नयन का हक प्राप्त होगा और दूसरा वित्तीय उन्नयन भी इंकार के कारण रोक की अवधि के समय तक स्थगित रखा जाएगा।

2.4 नियमित पदोन्नति के समय प्राप्त वेतन नियतन का लाभ योजना के अधीन प्राप्त वित्तीय उन्नयन के समय भी प्राप्त होगा। इस कारण ऐसे उन्नयन के पहले आहरित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के कुल वेतन से 3% वेतन बढ़ा दिया जाएगा। इस लिए एमएसीपी योजना के अधीन प्रदत्त ग्रेड वेतन समान होने पर नियमित पदोन्नति के समय आगे वेतन नियतन नहीं किया जाएगा। वास्तविक पदोन्नति के समय यदि एमएसीपी योजना के अधीन प्राप्त ग्रेड वेतन उच्च पद का हो तो कोई वेतन नियतन प्राप्त नहीं होगा और ग्रेड वेतन का केवल अंतर प्राप्त होगा।

2.5 एमएसीपी योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन जो स्वस्थानी है और जिसमें उच्च कार्य और ज़िम्मेदारी नहीं है वहाँ एक विशेष व्यवस्था के रूप में उच्च पद/ग्रेड वेतन में उनकी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख से या उनके अगले वेतन वृद्धि की तारीख यानि वर्ष की पहली जुलाई से F.R. 22(I)(a)(1) के अधीन वेतन नियतन किया जाएगा। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख, व्यय विभाग के का.ज्ञा. 1/1/2008-IC दिनांक 13.09.2008 के स्पष्टीकरण सं.2 के अनुसार तय किया जाएगाया DOP &T का.ज्ञा.सं.35034 / 1/2017-Estt.D दिनांक 20.09.2018 के अनुसार तय किया जाएगा,जैसा भी मामला हो।

2.6 पुराना कोई मामला पुनः खोला नहीं जाएगा। इसके अलावा जब कभी एमएसीपी योजना कार्यान्वित किया जाएगा तब पुराने एसीपी योजना(अगस्त 1999) और एमएसीपी योजना के तहत उसी केडर में आए वित्तीय उन्नयन के कारण वेतनमान में हुये परिवर्तन को एक विसंगति के रूप में नहीं लिया जाएगा।

2.7 उच्च ग्रेड के वेतनमान में पदधारी के वेतन वृद्धि की तारीख (यानि वर्ष की 1 जुलाई या 1 जनवरी) के आधार पर वेतन नियतन केलिए विकल्प (इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अंदर अमल किया जाये) स्वीकार्य है। इस तरह एक बार अमल में लाया गया विकल्प समझा जाएगा।

3. यह केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सी टी बिंदु)
उप आयुक्त(का. व सत.)

सेवा में

संबधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. आयुक्त ,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/अपील, कोच्चि
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. अपर /संयुक्त आयुक्त (का व सत), तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) कोचिन

(उन से अनुरोध किया जाता है कि वे एम ए सी पी आदेशों का परिचालन उनके अधीन कार्यरत मण्डल कार्यालयों /क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी सहायक /उप आयुक्तों में करें)

2. वेतन एवं लेखा अधिकारी/ मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/लेखा परीक्षा,कोच्चि/ सीमा शुल्क गृह,कोचिन
3. सहायक/उप आयुक्त-एर्णाकुलम मंडल/काक्कनाड मंडल/ आलुवा मंडल/ पेरुम्बावूर मंडल/ इडुक्की मंडल/त्रिश्शूर मंडल/ चालक्कुडी मंडल
4. अधीक्षक, (गोपनीय-सतर्कता),मुख्यालय कोच्चि /प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ) मु.कोच्चि
5. अधीक्षक(सिस्टम्स) उन से अनुरोध है कि वे एमएसीपी आदेश को आयुक्तालय के वैबसाइट में अपलोड करें ।
6. हिंदी कक्ष, कोच्चि आयुक्तालय
7. महासचिव, सभी ग्रूप ख व ग अधिकारी संघ कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/32/2020-Estt दिनांक: .04.2023

आदेश सं.: 49 / 2023

विषय: हेड हवलदार के केडर में हवलदार की पदोन्नति - संबन्धित।

श्री पी.के.अब्दुल करीम, हवलदार (कर्मचारी कोड-5013), केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि को एतद्द्वारा ऐसे भत्ते सहित, जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किए जा सकते हैं,वेतन मैट्रिक्स (19,000-63,000) में स्तर-2 में हेड हवलदार, ग्रुप 'सी' अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय के ग्रेड में दिनांक 02.07.2018 से एवं आगे के आदेश तक काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया जाता है | हेड हवलदार ग्रेड में उनकी वरिष्ठता श्री संतोष कुमार के ठीक ऊपर दी गई है।

2. अधिकारी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.09.1981 05.07.1999 और 27.07.2017 के अनुसार इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग करना होगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा |

[अन्वर अली टी पी]
अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में
संबधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा, कोच्चि/ अपील, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा, कोच्चि/ अपील, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/लेखा परीक्षा, कोच्चि/ अपील, कोच्चि/ सी सी पी, कोचिन

3. अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/लेखा परीक्षा, कोच्चि/ अपील, कोच्चि/ सी सी पी, कोचिन
4. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि- वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt दिनांक: 28.04.2023

आदेश सं.: 48 / 2023

विषय : कर सहायक के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनाती केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित ।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्ककर सहायक के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (श्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	सौरभ शर्मा	05.07.1997	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय,कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / लेखा परीक्षा

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/, प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा मुख्यालय
3. अधीक्षक (सिस्टम्स /सतर्कता), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/37/2022-Estt दिनांक: .04.2023

स्थापना आदेश सं.: 47/2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ & सीसीए/कर सहायक/76887)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2020 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 19.01.2023 की स्वीकृति पर, **अनारक्षित** श्रेणी के तहत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12034/SSC/06/2020 - एडी-III.बी दिनांक 29.11.2022 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार **श्री सौरभ शर्मा** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **10.04.2023 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री सौरभ शर्मा,** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री सौरभ शर्मा,** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(अन्वर अली टी पी)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री सौरभ शर्मा,
सुपुत्र एम एल शर्मा,
81, बैंक कॉलोनी,
महेश नगर, एक्सटेंशन -बी,
जयपुर, राजस्थान - 302015

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक)सिस्टम्स (केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि ,वेबसाइट में उपलोड करने हेतु

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT. दिनांक:. .04.2023

आदेश सं.: 46/2023

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के आधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	कपिल देव सुरिरा	16.04.1983	वंडीपेरियार रेंज, इडुक्की मंडल को स्था.आदेश के तहत	काक्कनाड मंडल

2. पर्यवेक्षक अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर **20.04.2023** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

5. दिनांक **24.04.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

मनीष

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय,कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई,तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
8. मुख्यलेखाअधिकारी / वेतनएवंलेखाअधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
10. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
11. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT. दिनांक: .04.2023

स्थापना आदेश सं.: 45 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/77599)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2020' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 05.12.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री राहुल कुमार** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **27.03.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री राहुल कुमार** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री राहुल कुमार** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिनाऔर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री राहुल कुमार,
ए 161, गली नं.4, अंबेडकर विहार, जोहीपुर, शाहदारा,
दिल्ली - 110094

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, कैंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT. दिनांक: .04.2023

स्थापना आदेश सं.: 44 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/77595)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2020' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 05.12.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री मणी सिंह राठौर** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **20.03.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री मणी सिंह राठौर** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री मणी सिंह राठौर** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिनाऔर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री मणी सिंह राठौर,
EWS 2793, आवास विकास 3, कल्याणपुर, जिला -कानपूर,
उत्तर प्रदेश -208017

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT. दिनांक: .04.2023

स्थापना आदेश सं.: 43/2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/77598)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2020' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 05.12.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री देवेश गौरव सिंह** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **16.03.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 **श्री देवेश गौरव सिंह** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री देवेश गौरव सिंह** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिनाऔर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री देवेश गौरव सिंह,
हाउस नं.597, गली नं.5,
शालिमार पार्क एक्सटेंशन, शाहदारा, दिल्ली - 110032

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालयMINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन,CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM II/(11)/5/2021-Estt दिनांक: .03.2023

आदेश सं.: 42/2023

विषय : निरीक्षक की श्रेणी में स्थायीकरण -सं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/1/2010 -Estt.(C) दिनांक 21.07.2014 में निहित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने सूचित तारीख से निरीक्षक की श्रेणी में स्थाई बनाईं गईं हैं : -

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	स्थाईकरण की तिथि
1.	विजय लक्ष्मण बोराडे	23.08.1986	17.03.2023

2. संबन्धित व्यक्ति की सेवा पंजि में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएँ ।
3. यह आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

अन्वर अली

[अन्वर अली टी पी]
अपर आयुक्त [का.व सत.]

सेवा में

सभी व्यक्ति को [संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
2. अधीक्षक(गोप./सत.)केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/7/2022-ESTT दिनांक: .06.2023

परिपत्र

डीजीएचआरडी से प्राप्त निम्नलिखित पत्र की ओर ध्यान आमंत्रित किया जाता है |

क्रम सं.	फाइल सं. एवं दिनांक	विषय
1	फा.सं.InW/AWF-1/MA/103/2021-WLFR-O/o ADG-I एवं DGHRD-दिल्ली दिनांक 16.08.2021	सहायक उपकरण / उपकरणों (सहायक उपकरणों) की खरीद / फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों (विभागीय अधिकारी या उनके आश्रित परिवार के सदस्य होने के नाते) को वित्तीय सहायता प्रदान करना

उपर्युक्त पत्र की प्रति सूचना के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - www.cenexcisekochi.gov.in से जानकारी के लिए डाउनलोड की जा सकती है | परिपत्र को आपके कार्यालय के अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में :

1. उप/सहायक निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई /नासिन, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई
2. कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी उप /सहायक आयुक्त
3. सभी अनुभाग प्रमुख, मुख्यालय, कोच्चि
4. खेल अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स),मु.कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
6. सूचना पट्ट, मु.कोच्चि
7. सूचना पट्ट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन,कत्रिक्कडवु

प्रति

1. अपर आयुक्त (मु.आ.का.), मु. कोच्चि - सूचना हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT

परिपत्र

विषय : वार्षिक सामान्य स्थानांतरण (एजीटी) - 2023 -ई-सेवानिधि ऐप में डेटा का अपडेशन न होना - सम्बंधित |

तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत उन अधिकारियों की सूची संलग्नक के रूप में संलग्न है जिन्होंने अपने अधिकारी प्रोफाइल को ठीक से अपडेट नहीं किया है। जिन अधिकारियों के नाम सूची में दर्ज हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि आवश्यक हो तो पदनाम के साथ-साथ तैनाती के इतिवृत्त (ग्रुप बी एंड सी) सहित अपने व्यक्तिगत विवरण को अपडेट करें। कार्रवाई को तत्काल पूरा किया जाए ताकि वार्षिक सामान्य स्थानांतरण 2023 आदेश बिना किसी देरी के जारी किए जा सकें। यदि डेटाबेस में विवरण ठीक से अपडेट नहीं किया गया है, तो यह कार्यालय हमारे पास जो भी डेटा है, उसके आधार पर निर्णय लेने के लिए मजबूर होगा।

[अन्वर अली टी पी]
अपर आयुक्त[का.व सत.]

प्रति प्रस्तुत है :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड /लेखा परीक्षा /अपील, कोच्चि /सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय
3. प्रधान एडीजी/ एडीजी, डीआरआई क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि /डीजीजीआई क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि/ नासिन, कोच्चि

प्रति

1. अपर /संयुक्त आयुक्त, कोच्चि /तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड /लेखा परीक्षा /अपील, कोच्चि /सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय

2. कोच्चि /तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड /लेखा परीक्षा /अपील, कोच्चि /सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालयों के मंडल कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी उप /सहायक आयुक्त
3. कोच्चि /तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड /लेखा परीक्षा /अपील, कोच्चि /सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालयों के सभी डीडीओ
4. सभी अनुभाग प्रमुख, मु.कोच्चि
5. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के कर्मचारी संघ के सभी महासचिव
6. अधीक्षक (सिस्टम्स),मु.कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/7/2/2023-Estt

दिनांक: 11.05.2023

स्थापना परिपत्र

सीबीआईसी, नई दिल्ली से प्राप्त निम्नलिखित पत्र की और ध्यान आमंत्रित किया जाता है |

क्रम सं.	फाइल सं. एवं दिनांक	विषय
1	फा.सं.A.34011/01/2019-Ad.III.A दिनांक 10.05.2023	निरीक्षक संवर्ग के ग्रेड में पेपर-IV (विधि) परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एकबारगी छूट

उपर्युक्त पत्र की प्रति सूचना के लिए कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - www.cenexcisekochi.gov.in से जानकारी के लिए डाउनलोड की जा सकती है |

सी. टी. बिंदु
[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में :

1. उप/सहायक निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई /नासिन, कोच्चि क्षेत्रीय इकाई
2. कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी उप /सहायक आयुक्त
3. सभी अनुभाग प्रमुख, मुख्यालय, कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स),मु.कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

प्रति

1. उप आयुक्त (मु.आ.का.), मु. कोच्चि - सूचना हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-Estt

परिपत्र

विषय : तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों में वार्षिक सामान्य स्थानांतरण (एजीटी), 2023 - विकल्पों को प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाना - सम्बंधित |

कृपया एजीटी प्रोफार्मा की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए अधिकारियों के लिए ईसेवानिधि ऐप में वार्षिक सामान्य स्थानांतरण मॉड्यूल को सक्रिय करने के संबंध में इस कार्यालय परिपत्र दिनांक 13.04.2023 को देखें। चूंकि एप्लीकेशन को एक नए ढांचे में स्थानांतरित कर दिया गया था और एजीटी प्रोफार्मा जमा करने में अधिकारियों द्वारा बताई गई कठिनाइयों के आधार पर बग फिक्सिंग चल रही है, सीसीए द्वारा एजीटी अभ्यावेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12.05.2023 तक बढ़ा दी गई है।

[अन्वर अली टी पी]
अपर आयुक्त[का.व सत.]

प्रति प्रस्तुत है :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड /लेखा परीक्षा /अपील, कोच्चि /सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय
3. प्रधान एडीजी/ एडीजी, डीआरआई क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि /डीजीजीआई क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि/ नासिन, कोच्चि

प्रति

1. अपर /संयुक्त आयुक्त, कोच्चि /तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड /लेखा परीक्षा /अपील, कोच्चि /सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय

2. कोच्चि /तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड /लेखा परीक्षा /अपील, कोच्चि /सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालयों के मंडल कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी उप /सहायक आयुक्त
3. कोच्चि /तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड /लेखा परीक्षा /अपील, कोच्चि /सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालयों के सभी डीडीओ
4. सभी अनुभाग प्रमुख, मु.कोच्चि
5. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के कर्मचारी संघ के सभी महासचिव
6. अधीक्षक (सिस्टम्स),मु.कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
7. सूचना पट्ट, मु.कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/20/57/2022-Estt दिनांक : 19.06.2023

कार्यालय आदेश

विषय : केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - सम्बंधित |

पत्र GEXCOM/II/20/57/2022-Estt दिनांक 19.06.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि जब तक श्री माइकल टी एच, सहायक आयुक्त मुख्यालय कोच्चि में कार्यग्रहण करता है तब तक विधिक अनुभाग से संबंधित फाइलें सीधे श्री शाजी जॉन, संयुक्त आयुक्त को चिह्नित की जाएंगी।

2. यह आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में
सम्बंधित व्यक्तियाँ

प्रति प्रस्तुत है :

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

प्रति प्रस्तुत है :

1. मुख्यालय कोच्चि / आलुवा मंडल / पेरुम्बावूर मंडल के सभी उप /सहायक आयुक्त
2. अधीक्षक (विधिक), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt दिनांक : 05.06.2023

कार्यालय आदेश

विषय : केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - सम्बंधित |

कृपया केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन संबंधी आदेश सं. 60 /2023 दिनांक 02.06.2023 देखें |

2. श्रीमती अजिता, सहायक आयुक्त अपने नए प्रभारों के अलावा, कक्कनाड मंडल का प्रभार तब तक संभालती रहेंगी, जब तक कि श्रीमती शांति वी., उप आयुक्त अपनी छुट्टी से वापस नहीं आतीं और कक्कनाड मंडल का कार्यभार नहीं संभाल लेतीं।

3. यह आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[अन्वर अली टी पी]
अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्तियाँ

प्रति प्रस्तुत है :

1. **मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र**

प्रति प्रस्तुत है :

1. **सभी अपर /संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय**
2. **सभी उप /सहायक आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय**
3. **केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख**
4. **अधीक्षक (सिस्टम्स), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि-वेबसाइट में उपलोड करने हेतु**

/1265820/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/29/2021-Estt **Date: 28.06.2023**

ORDER NO. 75/2023

Sub: Work Allocation among Additional/Joint Commissioners of Central Tax & Central Excise – Reg.

In partial modification to Office Order No. 14/2021 dated 30.07.2021 (DGHRD/ADC-JC/20/2021) and Order No. 61/2023 dated 12.06.2023, the following changes in the work allocation among Additional/Joint Commissioners of Central Tax and Central Excise is hereby ordered with immediate effect:

2. Shri. Anwar Ali T.P., Additional Commissioner, presently holding the charge of CCO-CCA (additional charge of CGST & CX, Cochin Commissionerate) is assigned the charge of CCO-CCA. The charges of Anti Evasion, Prosecution, Headquarters and Sports (CGST & CX, Cochin Commissionerate) are assigned to Smt. Rani C.R., Additional Commissioner.

3. Accordingly, the revised work allocation among Additional/Joint Commissioners of Central Tax & Central Excise, is given below:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	Link Officer
1.	Anwar Ali T.P., Additional Commissioner	CCO-CCA	Rajeswari R. Nair, Additional Commissioner

2.	Rani C.R., Additional Commissioner	Establishment, Personnel & Vigilance, Anti Evasion, Prosecution, Headquarters, Sports, Technical, Statistics & Intelligence, Parliament Questions, RFD, Adjudication Cell, DGARM, Systems, Systems Manager, CRU, Official Language, GST Seva Kendra, GST Cell, Infrastructure Cell, Swachh Bharat, Sugamya Bharat, Verification Cell; Supervision of Ernakulam, Chalakudy and Thrissur Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner (CGST & CX, Cochin Commissionerate).	Shaji John, Joint Commissioner
3.	Shaji John, Joint Commissioner	Audit, Tax Arrears Recovery, Training, Right to Information Act (RTI), Review, Administration, Bhavishya, Accounts, Legal, CAT; Supervision of Aluva, Perumbavoor, Idukki and Kakkanad Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner (CGST & CX, Cochin Commissionerate).	Rani C.R., Additional Commissioner

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.

5. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 28-06-2023 17:02:42

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**

2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**

/1260955/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2023-Estt Date: .06.2023

ORDER NO. 74/2023

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/TAX ASSISTANT/82970)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2021 – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 12.06.2023 **Shri. Arun Kumar,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **OBC category** vide letter F.No.A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **26.06.2023 (F.N).**

2. Shri. Arun Kumar is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if

the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Thevaraparambil Anwar Ali
Date: 26-06-2023 16:00:26

[Anwar Ali T.P.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Arun Kumar
S/o Ram Prakash Repswal,
B - 46, Indra Nagar,
Jhunjhunu, Rajasthan - 333001.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1260959/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2023-Estt Date: .06.2023

ORDER NO. 73/2023

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/TAX ASSISTANT/82968)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2021 – Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 12.06.2023 **Shri. Sarbeswar Senapati,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **OBC category** vide letter F.No.A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **26.06.2023 (F.N).**

2. Shri. Sarbeswar Senapati is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if

11/07/2023

the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Thevaraparambil Anwar Ali
Date: 26-06-2023 16:00:58

[Anwar Ali T.P.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Sarbeswar Senapati
S/o Rabindra Senapati,
AT-46/A, Mohammadia Bazar,
PO - Chandini Chowk, PS - Lalbag,
Dist - Cuttack, Odisha - 753002.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1259104/2023

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय **OFFICE OF THE COMMISSIONER**
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
E-mail: cexcochi@nic.in **Fax: 0484-2390608** **Phone: 0484-2390404**

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT. **Date: .06.2023**

ORDER No.72/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

	Sl. No.	Name (S/Shri./Smt.)	D.O.B	From	To
1.		SHATRUGHN KUMAR	20-10-1989	*UoT to* Hqrs, Kochi	*Adjudication Section, Hqrs, Kochi*
2.		SUMIT KUMAR VARSHNEY	09.02.1993	*UoT to* Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	*Verification Cell, Hqrs. Kochi*
3.		AISWARYA P	03.03.1999	*UoT to* Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	*Chembukkavu Range*
4.		ANKIT TIWARI	10.07.1994	Kavaratti Range	Ernakulam Division

5.		VISHNU SATHYAN	10.05.1990	*UoT to* Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	*Ernakulam Range 2*
6.		RAJ KHUNGUR BASUMATARY	27.12.1986	Ernakulam Division	Kavaratti Range
7.		SUDHIR	30-09-1970	*Ernakulam Range 2*	*Thodupuzha Range*
8.		SREEKUMAR P. S.	31.05.1982	*Paravur Range*	*Thrissur Division*
9.		ASHOK KUMAR No.I	31.12.1985	*Legal Cell, Hqrs. Kochi*	*Perumbavur Division*
10.		BASIL PHILIP	10.01.1991	*UoT to* Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	*PRO Section, Hqrs,Kochi*
11.		GAURAV VATS	31-12-1989	*Review Cell, Hqrs. Kochi*	*Paravur Range*

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by 30.06.2023. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. Report compliance by **05.07.2023**.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 23-06-2023 17:45:27

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Sections, Central Tax & Central Excise, Hqrs. Kochi**
3. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
4. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
5. **The Superintendent (EDP) – for uploading in website.**
6. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1261876/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-ESTT Date: 26.06.2023

ORDER NO. 71/2023

Sub: Transfer & Postings in the Grade of Tax Assistant - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following transfer & posting in the grade of Tax Assistant of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (Kum.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Delsha Rose Davis	20.08.1999	On joining	Central Tax & Central Excise, Commissionerate, Audit Kochi
2.	Neeraja S Nair	23.04.1999	On joining	CCO-CCA

2. This is issued with the approval of the Competent Authority.
3. Hindi Version follows.

Signed by Bindu C T
Date: 26-06-2023 19:36:40
Reason: Approved
[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner (P&V)

To:

The Individuals.

Copy submitted to:

Now 11/07/2023

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode/ Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**

5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Audit Comm'tes.**
3. **The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
4. **The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
5. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode / Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
6. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
7. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1259082/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT. Date: .06.2023

ORDER No. 70/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

Consequent to issue of Inter Commissionerate Transfer Order No. 68/2023 dated 23.06.2023, the following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	SHANIMA A R	30-05-1989	*UOT to Kochi Commissionerate*	Kakkanad Range 5
2	MANIKANTAN V	15-05-1973	*UOT to Kochi Commissionerate*	Ernakulam Division
3	SUBHA H S	12-05-1972	*UOT to Kochi Commissionerate*	Adjudication Section, Headquarters, Kochi
4	MANOJ KUMAR YADAV	04-07-1982	*UOT to Kochi Commissionerate*	Audit Section, Headquarters, Kochi
5	RAJESH KUMAR	31-12-1980	*UOT to Kochi Commissionerate*	Eloor Range
6	ASHOK KUMAR	08-09-1980	*UOT to Kochi Commissionerate*	Irinjalakkuda Range
7	GOPINATH N P	22-09-1970	*UOT to Kochi Commissionerate*	Kakkanad Division
8	RAJKUMAR C K	15-05-1974	*UOT to Kochi Commissionerate*	Kakkanad Division

9	GULSHAN KUMAR	08-11-1985	*UOT to Kochi Commissionerate*	Ernakulam Range 2
10	PRAFULL BHANDARI	28-03-1991	*UOT to Kochi Commissionerate*	Aluva Range
11	PRAKASH M	28-05-1971	*UOT to Kochi Commissionerate*	Ernakulam Range 3
12	GEETHA K P	28-01-1969	*UOT to Kochi Commissionerate*	Vandiperiyar Range
13	SUNIL V T	03-01-1968	*UOT to Kochi Commissionerate*	Kolenchery Range
14	PATRICE JOSEPH	17-07-1969	Adjudication Section, Headquarters, Kochi	Audit Section, Hqrs, Kochi
15	AKHIL T K	17-04-1991	Statistics Section, Hqrs, Kochi	Review Cell, Hqrs, Kochi
16	RESMI R	20-05-1970	Tax Arrear/ RTI/Training Section, Hqrs, Kochi	Review Cell, Hqrs, Kochi
17	BIJU MR	14-04-1970	Ernakulam Range 2	Statistics/ RTI Section, Hqrs, Kochi
18	ANITHA SETHUNATH	26-02-1965	Audit Section, Hqrs, Kochi	Arrears/Training Section, Hqrs, Kochi
19	PADMARAJAN NAMBIAR C	09-05-1971	Ernakulam Range 3	Ernakulam Division
20	ABDUL SHAMIR T K	12-04-1972	Ernakulam Division	Ernakulam Range 1
21	MEGHA R	27-05-1984	Ernakulam Division	Ernakulam Range 2
22	JAYANTHA BISWAS	05-02-1975	Kavaratti Range	Ernakulam Range 5
23	MOHAN JOSEPH	25-05-1968	Audit Section, Hqrs, Kochi	Kavaratti Range
24	SABEESH C P	25-05-1984	Ernakulam Range 2	Kakkanad Division
25	JAYASREE L	20-05-1976	Eloor Range	Aluva Division
26	FLEMING T D	02-11-1968	Thrissur Range	Thrissur Division

27	INDIRA N M	20-05-1971	Chembukkav Range	Thrissur Division
28	VARGHESE JOHN	20-05-1969	Adjudication Section, Headquarters, Kochi	Thrissur Range
29	HARIKUMAR P	24-05-1969	Thrissur Division	Chembukkavu Range
30	SAJEEV K R	25-05-1965	Review Cell, Hqrs, Kochi	Guruvayur Range
31	JAYALAKSHMI P G	09-04-1971	Irinjalakkuda Range	Chalakkudy Division

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **30.06.2023.** Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. Report compliance by **05.07.2023.**

Signed by
Maneesh Kumar
[MANEESH KUMAR]
Date: 23-06-2023 17:42:26
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**

7. All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
9. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.
10. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.
11. The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.
12. Hindi Cell – for Hindi Version.

/1257204/2023

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय **OFFICE OF THE COMMISSIONER**
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
E-mail: cexcochi@nic.in **Fax: 0484-2390608** **Phone: 0484-2390404**

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT. **Date: 22.06.2023**

ORDER No.69/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No.	Name (S/Shri./Smt.)	D.O.B	From	To
1	BASIL PHILIP	10.01.1991	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
2	JAZEEL M C	09.10.1994	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
3	VISHNU SATHYAN	10.05.1990	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
4	JITHIN JOSE	19.11.1993	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

done 22/6/2023

5	SUMIT KUMAR VARSHNEY	01.11.1987	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
6	MANI SINGH RATHORE	11.08.1994	*New recruit (CGLE 2020)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
7	RAHUL KUMAR (No.I)	09.06.1995	*New recruit (CGLE 2020)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
8	JINCE PIUS	16.01.1997	*New recruit (CGLE 2021)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
9	AISWARYA P	03.03.1999	*New recruit (CGLE 2021)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
10	SANDEEP S	11.07.1998	*New recruit (CGLE 2021)*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
11	HIMANSHU SINGH	29.04.1998	*New recruit (CGLE 2021)*	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi *
12	DANISH KHAN दानिश।	19.07.1996	*New recruit (CGLE 2021)*	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi #

13	RAHUL KUMAR (No.II)	15.11.1999	*New recruit (CGLE 2021)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
14	RAKESH KUMAR BAIRWA	12.03.1995	*New recruit (CGLE 2021)*	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
15	GOURAV UMATIYA	11.08.1995	*New recruit (CGLE 2021)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
16	VINOD MEENA	22.08.1997	*New recruit (CGLE 2021)*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

* Attached to Shri. Manish Chandra, Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode until 31.10.2023.

Attached to Shri. Rajeev Kumar, Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi until 31.10.2023.

2. The officers at Sl. Nos **6** & **7** who are presently undergoing Induction training at NACIN Zonal Campus, Kochi may report to the respective Commissionerate to which they have been posted as per the Transfer & Posting Order, upon completion of the training and relief from NACIN Zonal Campus, Cochin.

3. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by 30.06.2023 (except Sl. Nos 6 & 7). Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

4. In case of officers posted to Audit Commissionerate and DGGI formations, the Relieving Officers shall ensure that the officers who are being relieved are clear from vigilance angle, as on date of their relief.

5. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

6. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

7. Report compliance by **05.07.2023**.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 23-06-2023 10:38:21
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**

11. **The Superintendent (EDP) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

1257206/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT. **Date: .06.2023**

ORDER No. 68/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	SHINOJ P	17-04-1982	*On promotion*	DGGI Kozhikode Regional Unit
2	SHANIMA A R	30-05-1989	*On promotion*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
3	MANIKANTAN V	15-05-1973	*On promotion*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
4	SUBHA H S	12-05-1972	*On promotion*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
5	WILLIAMS M A	08-03-1973	*On promotion*	Retained at Airport, Kannur, Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin (on in situ basis)
6	MANOJ KUMAR YADAV	04-07-1982	*On promotion*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
7	HARIPRASAD A K	01-06-1972	*On promotion*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
8	DILIP KUMAR	01-03-1980	*On promotion*	Central Tax & Central Excise, Appeals

done 12/07/2023

				Commissionerate, Kochi *
9	VIKRAMADITYA KUMAR	17-10-1982	*On promotion*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
10	JINESH K	07-11-1974	*On promotion*	Retained at Airport, Kannur, Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin (on in situ basis)
11	RAKHI NAIR	12-06-1976	*On promotion*	Retained at Airport, Thiruvananthapuram, Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin (on in situ basis)
12	RAJESH KUMAR	31-12-1980	*On promotion*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
13	VIRENDRA KUMAR	01-10-1979	*On promotion*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
14	AJITHA KUMARI K S	30-05-1973	*On promotion*	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
15	ASHOK KUMAR	08-09-1980	*On promotion*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
16	MIRAJ K K	20-05-1972	*On promotion*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
17	NAVEEN KUMAR	04-10-1986	*On promotion*	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi #
18	SHIBU V L	25-05-1975	*On promotion*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
19	LIJIN J KAMAL	20-04-1980	*On promotion*	DGGI Kochi Zonal Unit
20	SHREE BABU	06-04-1985	*On promotion*	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi
21	GOPINATH N P	22-09-1970	*On promotion*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
22	SANTHOSH T S	20-05-1980	*On promotion*	CCO-CCA
23	PRIYA K K	11-12-1979	*On promotion*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Trivandrum
24	RAJKUMAR C K	15-05-1974	*On promotion*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

25	BINDU REJIT	14-05-1974	*On promotion*	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi
26	PRAKASHAN V	25-03-1968	*On promotion*	Retained at DRI Kannur Regional Unit (on in situ basis)
27	MANJU KRISHNADAS	13-12-1986	*On promotion*	Retained at DGGI Trivandrum Regional Unit (on in situ basis)
28	GULSHAN KUMAR	08-11-1985	*On promotion*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
29	PRAFULL BHANDARI	28-03-1991	*On promotion*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
30	SAKET SINGH DHILLON	03-11-1984	*On promotion*	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
31	BADAL GAFOOR A	13-05-1986	*On promotion*	Retained at Airport, Kozhikode, Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin (on in situ basis)
32	PRAKASH M	28-05-1971	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
33	GEETHA K P	28-01-1969	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
34	SUNIL V T	03-01-1968	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
35	AMIT BHARTI	16-01-1981	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	CCO-CCA

* Attatched to Shri. Manish Chandra, Commissioner , Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate till 31.10.2023.
# Attatched to Shri. Rajeev Kumar, Commissioner , Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate till 31.10.2023.

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **05.07.2023.** Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. In case of officers posted to Audit Commissionerate and DGGI, the Relieving Officers shall ensure that the officers who are being relieved are clear from vigilance angle, as on date of their relief.

4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

5. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

6. Report compliance by **07.07.2023**.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 23-06-2023 10:40:00

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1256323/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No.:II/(3)/APPT/25/2020 Date: .06.2023

ORDER No.67 /2023

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following Inspectors of Central Tax & Central Excise are hereby promoted on**Ad-hoc and in-situ basis** to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl No	Name(S/Shri/Smt)	Date of Birth
1	SANTHOSH T.S.	20-05-1980
2	PRIYA K.K.	11-12-1979
3	RAJKUMAR C.K.	15-05-1974
4	BINDU REJIT	14-05-1974
5	PRAKASHAN.V	25-03-1968
6	MANJU KRISHNADAS	13-12-1986
7	GULSHAN KUMAR	08-11-1985
8	PRAFULL BHANDARI	28-03-1991
9	SAKET SINGH DHILLON	03-11-1984
10	BADAL GAFFOOR A.	13-05-1986

2. The officers mentioned above should join the higher post immediately and not later than **03.07.2023**.

3. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB) and any other pending cases in concerned Courts/ Tribunals.

12/07/2023

4. The compliance report about joining/non-joining of the officers should be sent to this office by **07.07.2023**.

5. Hindi version follows.

Signed by
[MANESH KUMAR]
COMMISSIONER
Date: 22-06-2023 16:41:15

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1241745/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/17/2023-Estt **Date: .06.2023**

ORDER NO. 66/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/TAX ASSISTANT/82957)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2021 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Ms. Neeraja S. Nair,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **UR category** vide letter F.No.A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **13.06.2023 (F.N).**

2. **Ms. Neeraja S. Nair** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy

13/07/2023

Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Thevaraparambil Anwar Ali
Date: 15-06-2023 14:35:37
[Anwar Ali T.P.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Ms. Neeraja S. Nair
D/o P.K. Sasikumar,
Jyothis House, Koorada,
Thrikanapuram P.O., Kuttipuram,
Malappuram, Kerala - 679573.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1241736/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/17/2023-Estt **Date: .06.2023**

ORDER NO. 65/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/TAX ASSISTANT/82956)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2021 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 12.06.2023, **Ms. Delsha Rose Davis,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **UR category** vide letter F.No.A.12034/SSC/13/2021-Ad.III.B dated 02.05.2023, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **13.06.2023 (F.N).**

2. **Ms. Delsha Rose Davis** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that her claim to

Above 13/7/2023

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by Thevaraparambil Anwar Ali
Date: 14-06-2023 11:32:48
Reason: Approved

[Anwar Ali T.P.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Ms. Delsha Rose Davis
D/o Davis E.A.,
Eerreth, Kollamula, Chathanthara P.O.,
Pathanamthitta, Kerala - 686510.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT Date: .06.2023

ORDER NO. 64/2023

Sub: Transfer & Postings in the grade of Havaldar - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following transfer & posting in the grade of Havaldar of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Date of Birth	From	To
1.	Ajitha V.P.	06.05.1969	On Joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
2.	Murali K.	05.05.1966	On Joining	CCO-CCA
3.	Vasantha Karuvalam	24.04.1966	On Joining	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
4.	Shyamalatha K.V.	15.03.1970	On Joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

2. This is issued with the approval of the Competent Authority.
3. Hindi Version follows.

done 13/07/2023

Signed by Bindu C T
Date: 19-06-2023 11:42:39
Reason: Approved

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner (P&V)

The Individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode/ Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Audit Comm'tes.**
3. **The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
4. **The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
5. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode / Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
6. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
7. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/1242188/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/21/2023-ESTT Date: .06.2023

ORDER NO. 63/2023

Sub: Transfer & Postings in the grade of Multi-Tasking Staff - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate- Reg.

The following transfer & posting in the grade of Multi-Tasking Staff of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name (Shri.)	Date of Birth	From	Posted to
1	Jithin Charudev K V	21-05-1992	Uot to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Commissioner's Unit, Hqrs, Kochi

2. The officer should join his new place of posting latest by 23.06.2023.
3. This is issued with the approval of the Competent Authority.
4. Hindi Version follows.

Signed by
Bindu Thankappan Choolakkal
Date: 14-06-2023 16:54:57

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner (P&V)

13/07/2023

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

I/1243188/2023

2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Superintendent (Vig./Systems/Hqrs) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1225949/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/26/2021-ESTT.. Date: 02.06.2023

ORDER No. 62/2023

Sub: Transfer & Postings in the Cadre of Inspector – Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

The following transfer & posting in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect and until further orders.

S.No.	Name (S/ Shri/ Smt.)	DOB	From	To
1	Shatrughn Kumar	20-10-1989	Perumbavur Division	Headquarters, Kochi Commissionerate

2. The above officer should join the new place of posting immediately.
3. Controlling Officer shall ensure that the officer is relieved from the post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition.
4. Report compliance on 05.06.2023

13-07-2023

Signed by
Maneesh Kumar
[Date: 05-06-2023 14:44:45]
Commissioner

To:
The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

/1225949/2023

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Perumbavur Division.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Superintendent (Confl/ Vig.), Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading inwebsite.**
5. **Hindi Cell - for Hindi Version.**

/1238709/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/29/2021-Estt **Date: 12.06.2023**

ORDER NO. 61/2023

Sub: Work Allocation among Additional/Joint Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg

In partial modification of Order No. 86/2022 dated 11.10.2022, the following changes in the work allocation among Additional/Joint Commissioners of Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect:

2. Smt. Rani C.R., Additional Commissioner will hold the charges which were held by Dr. J. Harish, Additional Commissioner except Legal, CAT and the supervision of Aluva Division. The charges of Establishment, Personnel & Vigilance, GST Seva Kendra, GST Cell, Infrastructure Cell, Swachh Bharat, Sugamya Bharat, Verification Cell, Administration, Bhavishya, Accounts and the supervision of Thrissur Division along with adjudication and all legacy work of this Division are also assigned to Smt. Rani C.R., Additional Commissioner. The charges of Legal, CAT and the supervision of Aluva and Idukki Divisions along with adjudication and all legacy work of these Divisions are assigned to Shri. Shaji John, Joint Commissioner.

3. Accordingly, the revised work allocation among Additional/Joint Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is given below:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri.)	Charges Assigned	1st Link	2nd Link
1.	Anwar Ali T.P., Additional Commissioner	Anti Evasion, Prosecution, Headquarters, Sports; Any other work assigned by the Commissioner.	Rani C.R., Additional Commissioner	Shaji John, Joint Commissioner

done 13/07/2023

2.	Rani C.R., Additional Commissioner	Establishment, Personnel & Vigilance, Technical, Statistics & Intelligence, Parliament Questions, RFD, Adjudication Cell, DGARM, Systems, Systems Manager, CRU, Official Language, GST Seva Kendra, GST Cell, Infrastructure Cell, Swachh Bharat, Sugamya Bharat, Verification Cell, Administration, Bhavishya, Accounts; Supervision of Ernakulam, Chalakudy and Thrissur Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner.	Shaji John, Joint Commissioner	Anwar Ali T.P., Additional Commissioner
3.	Shaji John, Joint Commissioner	Audit, Tax Arrears Recovery, Training, Right to Information Act (RTI), Review, Legal, CAT; Supervision of Aluva, Perumbavoor, Idukki and Kakkanad Central Tax & Central Excise Divisions; Adjudication and all legacy work of these Divisions; Any other work assigned by the Commissioner.	Rani C.R., Additional Commissioner	Anwar Ali T.P., Additional Commissioner

4. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 12-06-2023 16:39:40

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and**

/1238709/2023

Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**

/1223007/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt **Date: 02.06.2023**

ORDER NO. 60/2023

Sub: Work Allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

In partial modification to Order No. 3/2023 dated 04.01.2023, the following changes in the work allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate are hereby ordered with immediate effect:

2. Shri. Michael T.H., Assistant Commissioner is assigned the charge of Legal & DGARM. Shri. Ranjith Santhakumar, Assistant Commissioner is assigned the charge of Adjudication & Review. Smt. N.S. Jayasree, Assistant Commissioner is assigned the charge of Technical, Parliament Questions, RFD & Statistics. Smt. Ajitha P., Assistant Commissioner is assigned the charge of Administration, Infrastructure, CRU, OLIC, RTI (CPIO) & Training. Shri. M. Sarath Chandran, Assistant Commissioner is assigned the charge of Anti Evasion, Prosecution & Verification Cell. Shri. R. Shyju, Assistant Commissioner is assigned the charge of Audit & Tax Arrear Recovery. Smt. Maya Chandran, Assistant Commissioner is assigned the charge of Aluva Division. Smt. Shanthi V., Deputy Commissioner is assigned the charge of Kakkanad Division. Shri. Anil Raj R., Deputy Commissioner is assigned the charge of Perumbavoor Division. Shri. Roy Varghese, Assistant Commissioner is assigned the charge of Headquarters.

done 14/6/2023

3. Accordingly, the revised work allocation/link officers among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is given below:

Sl. No.	Name of Officer (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	1st Link	2nd Link
1.	C.T. Bindu	P&V, Systems	Michael T.H.	M. Sarath Chandran
2.	Michael T.H.	Legal & DGARM	N.S. Jayasree	C.T. Bindu
3.	Ranjith Santhakumar	Adjudication & Review	Ajitha P.	R. Shyju
4.	N.S. Jayasree	Technical, Parliament Questions, RFD & Statistics	Ranjith Santhakumar	Ajitha P.
5.	Ajitha P.	Administration, Infrastructure, CRU, OLIC, RTI (CPIO) & Training.	R. Shyju	Ranjith Santhakumar
6.	M. Sarath Chandran	Anti Evasion, Prosecution, & Verification Cell	C.T. Bindu	Michael T.H.
7.	R. Shyju	Audit, Tax Arrear Recovery	M. Sarath Chandran	N.S. Jayasree
8.	Maya Chandran	Aluva Division	Maya Kurian	Shanthi V.
9.	Harrison Antony	Ernakulam Division	Shanthi V.	Anil Raj R.
10.	Shanthi V.	Kakkanad Division	Anil Raj R.	Harrison Antony
11.	Maya Kurian	Chalakudy Division	Deepak Kumar	Roy Varghese
12.	Deepak Kumar	Thrissur Division	Maya Chandran	Maya Kurian
13.	Anil Raj R.	Perumbavoor Division	Roy Varghese	Deepak Kumar
14.	Roy Varghese	Idukki Division, Welfare, Sports & Headquarters	Anil Raj R.	Shanthi V.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 02-06-2023 18:08:14
Reason: Approved

[Maneesh Kumar]
Commissioner

/1223007/2023

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/26/2021-ESTT.

ORDER No. 59/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect and until further orders.

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	Designation	D.O.B	From	To
1.	Gaurav Vats	Inspector	31.12.1989	CCO-CCA (on repatriation from IGI Airport, New Delhi)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Cochin (Review Section)
2.	Gundu Dinesh Kumar	Inspector	20.08.1989	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Cochin (Review Section)	CCO-CCA

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing-over-notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting **immediately**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

done 14/07/2023

5. Report compliance by **05.06.2023**.

Signed by
Thevaraparambil Anwar Ali
Date: 05-06-2023 11:43:02

[ANWAR ALI T P]
ADDITIONAL COMMISSIONER

To:
The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:
1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copies to:
1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.
5. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.
6. The Additional Director General, DGGI/DRI Zonal Unit, Kochi.
7. All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
9. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
10. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.
11. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
12. Hindi Cell – for Hindi Version.

/1216040/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/5/2020-Estt Date: 31.05.2023

ORDER NO. 58/2023

Sub: Promotion to the grade of Executive Assistant – Reg.

The Review DPC meeting held on 30.05.2023 reviewed the proceedings of the DPC meeting held on 30.12.2022 for promotion of Tax Assistants to the grade of Executive Assistants in view of Ministry's letter F.No.A.12018/01/2012.AD.III.B dated 15.05.2023.

2. As per the findings of the aforesaid Review DPC, the following officers, who were originally promoted to the grade of Senior Tax Assistant (re-designated as Executive Assistant) vide Order No. 84/2017 dated 31.03.2017, are hereby provisionally regularized in the grade of Executive Assistant (Group 'B' Non-Gazetted), as their promotion to erstwhile Senior Tax Assistant is subjudice and to enbloc them above the officers who are to be promoted to the grade of Executive Assistant by virtue of relaxation in qualifying service granted by the Ministry vide letter F.No.A.12018/01/2012.AD.III.B dated 15.05.2023.

Sl. No	Name of officer (S/Shri./Smt.)	Present place of posting	Earlier Date of promotion as STA (re-designated Executive Asstistant)	Revised date of promotion as Executive Assistant
1	Anju K U	Thiruvananthapuram Commissionerate	01.04.2017	*
2	Najiya P A	Kochi Commissionerate	01.04.2017	*
3	Anand Babu	Kochi Commissionerate	01.04.2017	*
4	Lav Singh	Kochi Commissionerate	01.04.2017	*

5	Sethu R	Kochi Commissionerate	01.04.2017	*
6	Sujitha E	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	01.04.2017	*
7	Indulal P V	Thiruvananthapuram Commissionerate	01.04.2017	*
8	Ponni Chandran	Thiruvananthapuram Commissionerate	01.04.2017	*
9	Sabarinath V S	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	01.04.2017	*
10	Muneer K	Kozhikode Commissionerate	01.04.2017	*
11	Mathews M Poulose	DGGI, Kochi Zonal Unit	01.04.2017	*
12	Bony Mathew	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	01.04.2017	*
13	Jasmin Basheer Kavapurayil	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	01.04.2017	*

* subject to the outcome of O.A. No. 550/2019 filed by Shri. Navaneeth Mohan & Others before the Hon'ble CAT, Ernakulam Bench, which has been transferred to the Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi (O.A. No. 1718/2020).

3. The following officers mentioned at Sl. Nos. 1, 2, 3, 25, 26, 27, 28 & 36, who were originally promoted to the grade of Senior Tax Assistant (re-designated as Executive Assistant) vide Order No. 84/2017 dated 31.03.2017 and Order No. 127/2017 dated 15.06.2017, are hereby provisionally regularized in the grade of Executive Assistant (Group 'B' Non-Gazetted) and the following Tax Assistants mentioned at Sl. Nos. 4 to 24 and 29 to 35 and 37 are hereby notionally promoted to the grade of Executive Assistant (Group 'B' Non-Gazetted) in Level-6 of the Pay Matrix (Rs. 35,400-1,12,400) plus such allowances as may be applicable, with effect from the revised dates mentioned against their names.

Sl. No	**Name of officer (S/Shri./Smt.)**	**Present place of posting**	**Earlier Date of promotion as STA (re-designated Executive Asstistant)**	**Revised date of promotion as Executive Assistant**
1	Arunkumar S	Thiruvananthapuram Commissionerate	01.04.2017	*
2	Sunil Kumar	Kochi Commissionerate	01.04.2017	*
3	Jini Rasak V A	Audit Commissionerate	01.04.2017	*

4	Naziya V.A.	Thiruvananthapuram Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
5	Priyank Mittal	Kozhikode Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
6	Vipin Kumar	Kozhikode Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
7	Durgesh Kumar Jangid	Kochi Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
8	Gaurav Pratap Singh	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	-	30.12.2022 (A.N)
9	Gautam Kumar	Kozhikode Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
10	Pankaj Yadav	Kochi Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
11	Vikas Kumar	Kozhikode Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
12	Mohit Kundra	Kochi Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
13	Robin S.	Audit Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
14	V. Prabin	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	-	30.12.2022 (A.N)
15	Indu Ramesh	DRI, Kochi Zonal Unit	-	30.12.2022 (A.N)
16	Sandeep	Thiruvananthapuram Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
17	Jithin U. Nath	Thiruvananthapuram Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
18	Kapil Sharma	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	-	30.12.2022 (A.N)
19	Rohit	Kochi Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
20	Aashish Kumar Singh	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	-	30.12.2022 (A.N)
21	Athripathri Vishwa Teja	Audit Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
22	Deepak Kumar	Appeals, Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)

23	Reema Solanki	Kochi Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
24	Sasikumar K.P.	Kochi Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
25	Rajenan G	Thiruvananthapuram Commissionerate	01.04.2017	*
26	Neelima Sathyan	Appeals Commissionerate	01.04.2017	*
27	Navaneeth Mohan	Kozhikode Commissionerate	01.04.2017	*
28	Raji Austin	Thiruvananthapuram Commissionerate	01.04.2017	*
29	Sudheesh Kumar K.	Kozhikode Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
30	Sally Lukose	Kochi Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
31	Jafir Cheemadan	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	-	30.12.2022 (A.N)
32	Rajesh N.V.	Kochi Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
33	Suresh E.	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	-	30.12.2022 (A.N)
34	Basheer C.M.	Kozhikode Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
35	Bijaly Babu	Kochi Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)
36	Nazia Sulthana N	Chief Commissioner's Office	01.04.2017	*
37	Leena Singh	Kochi Commissionerate	-	30.12.2022 (A.N)

* subject to the outcome of O.A. No. 550/2019 filed by Shri. Navaneeth Mohan & Others before the Hon'ble CAT, Ernakulam Bench, which has been transferred to the Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi (O.A. No. 1718/2020).

4. The officers should join the promoted post on or before **12.06.2023**. The officers at Sl. Nos. 4 to 24 and 29 to 35 and 37 in Para 3 will have to exercise option for pay fixation in terms of DoP&T OMs dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final. Pay fixation in respect of officers mentioned at Sl. Nos. 1 to 13 in Para 2 and Sl. Nos. 1, 2, 3, 25, 26, 27, 28 & 36 in Para 3 will be subject to the final outcome of O.A. No. 550/2019 filed by Shri. Navaneeth Mohan & Others before the

Hon'ble CAT, Ernakulam Bench, which has been transferred to the Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi (O.A. No. 1718/2020).

5. The officers are eligible for pay fixation from the date of notional promotion, but no arrears would be admissible till date of joining in the grade of Executive Assistant.

6. This regularization/promotion order is subject to the outcome of O.A. No. 550/2019 filed by Shri. Navaneeth Mohan & Others before the Hon'ble CAT, Ernakulam Bench, which has been transferred to the Hon'ble CAT, Principal Bench, New Delhi (O.A. No. 1718/2020).

7. The compliance report by the Controlling Officers/Officers concerned regarding joining/non-joining of the officers should be sent to this office by **16.06.2023**.

8. Hindi version follows.

Signed by
Maneesh Kumar
Date: 31-05-2023 14:17:33
Commissioner

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned).

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Audit/ Appeals/ CCP.**

Copy to:

1. **The Assistant/ Deputy Commissioner in charge of all divisions under Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Audit/ Appeals/ CCP.**
2. **The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Audit/ Appeals/ CCP.**
3. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Audit/ Appeals/ CCP.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1214060/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/155/2021-Estt **Date: 30.05.2023**

ORDER NO. 57/2023

Sub: Regularisation of Part-Time Casual Laboures - Appointment to the grade of Havaldar - Reg.

As per Board's letter F.No.G.18013/25/2009-Ad.IIIB dated 05.12.2022 and on the basis of the recommendation of the Committee held on 30.05.2023 (reviewing the meeting) which considered regularization of Part-Time Casual Labourers under the Part-Time Casual Labourers (Regularisation) Scheme of CBIC 2020, the following Part-Time Casual Labourers are hereby appointed to officiate as Havaldar (Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial) in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from the date of joining the post.

Sl No:	Name (S/Shri./Smt.)	Date of birth	Category
1.	Ajitha V.P.	06.05.1969	SC
2.	Murali K.	05.05.1966	SC
3.	Vasantha Karuvalam	24.04.1966	SC
4.	Shyamalatha K.V.	15.03.1970	SC

2. If they accept the offer of appointment on the conditions mentioned in this offer, they should appear before the Deputy Commissioner (P&V), Central Tax and Central Excise, C R Building, I S Press Road, Kochi on or before **09.06.2023**. If they fail to report for duty within the specified time limit, this order of appointment will be treated as cancelled.

3. You are required to bring the following documents (in original) along with 3 (three) sets of photocopies at the time of reporting for duty:

(a) Matriculation/High School Certificate showing Date of Birth.
(b) All other Academic Certificates showing Educational Qualifications and also subjects studied at various levels.
(c) Certificates in support of your claim regarding experience and Certificates

26/05/2023 01/06/2023

about Extra-Curricular Activities.

(d) Certificates in support of your claim as SC/ST/OBC/EWS/EX-Service/PWD, if applicable.

(e) Aadhaar Card.

4. You are also required to bring the following documents. [Format of the documents are available on Kochi Commissionerate website - ***http://www.cenexcisekochi.gov.in/ssc-recruitment/].***

(a) **Completely filled 3 (three) copies of attestation form with Identity certificate and Character certificate** (Annexure-II). **Identity Certificates and Character Certificates have to be obtained from three different Gazetted Officers.**

(b) **You should accept the conditions of service given in** 'Annexure-I'.

(c) **You are required to undergo the prescribed Medical examination and to produce the Medical Certificate from a Medical Officer not below the rank of Civil Surgeon** (Annexure-III - Candidates statement and declaration & medical certificate). **Certificate should be produced in triplicate.**

5. They are informed that their appointment to the grade of Havaldar is purely on a temporary and provisional basis and they are liable to be discharged from service at any time without assigning any reasons.

6. They are further informed that they will be on probation for a period of two years. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

7. The department will not pay any travelling or other expenses to the candidate at the time of joining.

Signed by
Thevaraparambil Anwar Ali
Date: 30-05-2023 16:48:59

[Anwar Ali T.P.]
Additional Commissioner [P&V]

To

1. **Smt. Ajitha V.P., Part-Time Casual Labourer, Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
2. **Shri. Murali K., Part-Time Casual Labourer, Central Tax and Central Excise, Kozhikode.**
3. **Smt. Vasantha Karuvalam, Part-Time Casual Labourer, Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
4. **Smt. Shyamalatha K.V., Part-Time Casual Labourer, Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**

(Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

/1214060/2023

2. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit/Appeals/CCP.

Copy to:

1. The Additional/Joint Commissioner (P&V), Central Tax and Central Excise, Kozhikode/ CCP.
2. The Assistant/Deputy Commissioner in charge of all divisions under Kochi/Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit/Appeals/CCP.
3. The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit/Appeals/CCP.
4. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit/Appeals/CCP.
5. The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt **Date: 23.05.2023**

ORDER NO. 56/2023

Sub: Transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-II – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

The following transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-II is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Smt.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Shikha Malhotra	25.11.1991	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Steno Gr-II to JC (Audit), Hqrs Kochi

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

02/08/2023

Signed by
Bindu Thankappan Choolakkal
Date: 23-05-2023 14:19:28

Deputy Commissioner [P&V]

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Joint Commissioner (Audit), Central Tax and Central Excise**

/1201417/2023

Hqrs, Kochi.

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Systems)/(Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1218552/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/21/2023-ESTT Date: .05.2023

ORDER NO. 55/2023

Sub: Transfer & Postings in the grade of Multi-Tasking Staff - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following transfer & posting in the grade of Multi-Tasking Staff of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri.)	Date of Birth	From	To
1	Anantha Krishnan H	14-12-1996	On Joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
2	Jithin Charudev K V	21-05-1992	On Joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

2. The officers should join their new place of posting latest by 12.06.2023.
3. This is issued with the approval of the Competent Authority.
4. Report compliance by 16.06.2023.
5. Hindi Version follows.

done 02/06/2023.

Signed by
Bindu Thankappan Choolakkal
Date: 01-06-2023 13:31:05

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner (P&V)

/1218552/2023

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode/ Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Audit Comm'tes.**
3. **The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
4. **The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
5. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode / Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
6. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
7. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt **Date: 08.05.2023**

ORDER NO. 54/2023

Sub: Transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-II – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-II is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Smt.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Shikha Malhotra	25.11.1991	CCO-CCA (on repatriation from DGGST, New Delhi)	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

Signed by Bindu C T
Date: 09-05-2023 09:52:31

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner [P&V]

Approved 02/05/2023

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

/1173283/2023

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Systems)/(Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1168778/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/13/2023-Estt **Date: .05.2023**

ORDER NO. 53/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/MULTI TASKING STAFF/82412)

Sub: Appointment to the grade of Multi-Tasking Staff, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 25.04.2023, **Shri. Jithin Charudev K.V.,** a candidate nominated by Staff Selection Commission (Karnataka-Kerala Region) for appointment as Multi-Tasking Staff under **OBC category** vide letter F.No. N-N.11018/10/2023-Nomination dated 05.04.2023, is appointed as Multi-Tasking Staff in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **04.05.2023 (F.N).**

2. **Shri. Jithin Charudev K.V.** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such

02/05/2023

period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Signed by Shaji John
Date: 04-05-2023 14:02:04

[Shaji John]
Joint Commissioner [P&V]

To

Shri. Jithin Charudev K.V.
S/o Vijayan K.A.,
Kadasseril House, Mannam P.O.,
North Paravur, Ernakulam,
Kerala - 683520.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1166248/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिन, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/13/2023-Estt **Date: .05.2023**

ORDER NO. 52/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/MULTI TASKING STAFF/82411)

Sub: Appointment to the grade of Multi-Tasking Staff, through SSC Multi-Tasking (Non-Technical) Staff, and Havaldar (CBIC & CBN) Examination, 2021 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 25.04.2023, **Shri. Anantha Krishnan H.,** a candidate nominated by Staff Selection Commission (Karnataka-Kerala Region) for appointment as Multi-Tasking Staff under **UR category** vide letter F.No. N-N.11018/10/2023-Nomination dated 05.04.2023, is appointed as Multi-Tasking Staff in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 1 in the pay matrix (Rs. 18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **03.05.2023 (F.N).**

2. **Shri. Anantha Krishnan H.** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified

02-08-2023

through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by Shaji John
Date: 03-05-2023 15:56:11

[Shaji John]
Joint Commissioner [P&V]

To

Shri. Anantha Krishnan H.,
S/o G. Hari,
Suryakantham, Ottakkal P.O.,
Thenmala, Kollam,
Kerala- 691308.

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.
2. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.
3. The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.
4. The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.

1173573/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(39)/72/2021-Estt. **Dated: .05.2023**

ORDER NO. 50/2023

Sub: Grant of financial upgradation under MACP Scheme – Reg.

In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 35034/3/2008-Estt(D) dated the 19.05.2009 and Ministry of Finance letter F.No.A- 26017/76/2009-Ad.II.A dated 17.6.2009, the following officer is hereby granted financial upgradation under the MACP Scheme to the immediate next higher grade pay in the hierarchy of the pay band and grade pay or to the immediate next higher level in the Pay Matrix (as the case may be) with effect from the date(s) as mentioned against his name.

Sl.No	Name & designation S/Shri./Smt.	Date of birth	1st / 2nd / 3rd MACP	Date from which financial upgradation is granted	Recommended grade pay & pay band / Pay matrix level
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri. P.K.Abdul Kareem, Havaldar	10.01.1966	3rd	01.10.2021	Level 4

2. Financial upgradation granted to this officer is inter-alia, subject to the following conditions.

2.1 The financial upgradation will not result in change in the designation of the beneficiary i.e., the financial benefits are granted with the retention of his old designation and the said financial up gradation shall not confer any privilege related to higher status.

2.2 The financial upgradation under the MACP Scheme shall be purely personal to the incumbent (officer) and shall not amount to actual functional promotions of the officer concerned. Further, it shall have no relevance to his inter-seniority position, and as such, there shall be no additional financial upgradation for the senior officer on the ground that the junior officer has got higher pay scale(s) under the MACP Scheme. The concept of **"Senior-Junior"** is quite alien to the idea behind the MACP Scheme.

02/08/2023

2.3 If a regular promotion is offered but was refused by the officer, before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed; as such an officer has not been stagnated due to lack of opportunities. If, however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the officer subsequently refuses promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of debarment due to the refusal.

2.4 Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme. Therefore, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the pay band and the grade pay drawn before such upgradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same grade pay as granted under MACPS. However, at the time of actual promotion if it happens to be in a post carrying higher grade pay than what is available under MACPS, no pay fixation would be available and only difference of grade pay would be made available.

2.5 On his financial up-gradation under the MACP Scheme, which is in situ and which may not involve assumption of higher duties and responsibilities, as a special dispensation, his pay shall be fixed under F.R. 22(I)(a)(1) to get his pay fixed in the higher post/grade pay either from the date of their promotion/upgradation or from the date of their next increment viz. 1st July of the year. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification No. 2 of Department of Expenditure's O.M. No. 1/1/2008-IC dated 13.09.2008 or DOP&T O.M. No. 35034/1/2017-Estt.D dated 20.09.2018 as the case may be.

2.6 No past cases would be re-opened. Further, while implementing the MACP Scheme, the differences in pay scales on account of grant of financial upgradation under the old ACP Scheme (of August 1999) and under the MACP Scheme within the same cadre shall not be construed as an anomaly.

2.7 Option (exercisable within one month from the date of receipt of this order) for fixation of pay in the higher grade scale(s) based on the date of increment (i.e. 1st July or 1st January of the year) of the incumbent is also allowable. Such option once exercised shall be treated as final.

3. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

4. Hindi version follows.

Signed by Bindu C T
Date: 09-05-2023 11:37:51

(C.T.BINDU)
DEPUTY COMMISSIONER (P&V)

To:

The Individual (through the Supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise,

Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kozhikode/ Audit, Kochi/ Appeals, Kochi.
4. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

Copy to:

1. The Addl/ Joint Commissioner (P&V), Thiruvananthapuram/Kozhikode/ Audit, Kochi/ Customs (Preventive), Cochin (who are requested to circulate the MACP Orders to the AC/DC in charge of Divisions/Formations under their charge).
2. The Pay and Accounts Officer/ Chief Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram /Kozhikode/ Audit, Kochi/ Custom House, Cochin.
3. The Assistant/Deputy Commissioner, Ernakulam Division/Kakkanad Division/ Aluva Division/ Perumbavoor Division /Idukki Division/ Thrissur Division/ Chalakkudy/Division.
4. The Superintendent (Confidential-Vigilance), Hqrs. Kochi/AO(DDO) Hqrs. Kochi.
5. Superintendent (Systems), Hqrs. Kochi who is requested to upload the MACP order on the Commissionerate website.
6. Hindi Cell of Kochi Commmissionerate.
7. The Gen. Sec's of all Group 'B' & 'C' officers Association, Kochi.

/1158774/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिन, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/32/2020-Estt **Date: .04.2023**

ORDER NO. 49/2023

Sub: Notional promotion of Havaldar to the grade of Head Havaldar – Reg.

Shri. P.K. Abdul Kareem, Havaldar (Emp. Code - 5013), Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi is hereby notionally promoted to the grade of Head Havaldar, Group 'C' non gazetted, non-ministerial, in Level-2 in the pay matrix (Rs. 19,000 - 63,200) plus such allowances as may be sanctioned by the Governement of India from time to time, with effect from **02.07.2018** and until further orders. His seniority in the grade of Head Havaldar is assigned immediately above Shri. Santhosh Kumar K.

2. The officer will have to exercise option for pay fixation in terms of Department of Personnel & Training O.M. dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of issue of this order. The option once exercised shall be final.

3. Hindi version follows.

Signed by Anwar Ali T P
Date: 01-05-2023 12:54:14

(Anwar Ali T.P.)
Additional Commissioner (P&V)

done 02/08/2023

To

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned).

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/ Kozhikode/ Audit, Kochi/ Appeals, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/ Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi/ Kozhikode/ Thiruvananthapuram/ Audit, Kochi/ Appeals, Kochi/ CCP, Cochin.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram/Audit, Kochi/ Appeals, Kochi/ CCP, Cochin.**
3. **Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi/ Kozhikode/ Thiruvananthapuram/ Appeals, Kochi/ Audit, Kochi/ CCP, Cochin.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise, Hqrs. Kochi – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1155796/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt **Date: 28.04.2023**

ORDER NO. 48/2023

Sub: Transfer and posting in the grade of Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Tax Assistant is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Saurabh Sharma	05.07.1997	On joining	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

Signed by Bindu C T
Date: 28-04-2023 14:24:20

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner [P&V]

done 28/04/2023

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Audit.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise, Audit Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems)/(Vigilance), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
4. **The Hindi Translation Officer, Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**

/1127241/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/37/2022-Estt **Date: .04.2023**

ORDER NO. 47/2023
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/CCO & CCA/ TAX ASSISTANT/76887)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2020 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Shri. Saurabh Sharma,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **UR category** vide letter F.No.A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 29.11.2022, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **10.04.2023 (F.N).**

2. **Shri. Saurabh Sharma** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by Anwar Ali T P
Date: 13-04-2023 12:27:53

[Anwar Ali T.P.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Saurabh Sharma
S/o M.L. Sharma,
81 Bank Colony,
Mahesh Nagar, Ext-b,
Jaipur,
Rajasthan-302015.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**

/1118999/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT. Date: .04.2023

ORDER No. 46/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

In partial modification to Order No. 06/2023 dated 13.01.2023 the following transfer & posting in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl.No	Name(S/Shri./ Smt.)	D.O.B	From	To
1.	Kapil Dev Surira	16.04.1983	UOT to Vandiperiyar Range, Idukki Division	Kakkanad Division

2. Supervisory officer shall ensure that the officer is relieved from his previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officer is to join his new place of posting latest by **20.04.2023**. Supervisory officer will be held responsible if the officer is not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting.

4. Report compliance by **24.04.2023**.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 10-04-2023 13:53:07

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

10/04/2023

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/DRI Zonal Unit, Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
9. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
10. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
11. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1125661/2023

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
E-mail: cexcochi@nic.in **Fax: 0484-2390608** **Phone: 0484-2390404**

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT. **Date: .04.2023**

ESTABLISHMENT ORDER NO.45/2023
(Thirvananthpuram GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/77599)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Shri. Rahul Kumar**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **27.03.2023 (F.N).**

2. **Shri. Rahul Kumar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Rahul Kumar** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

03/08/2023

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 12-04-2023 16:04:02

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. RAHUL KUMAR,
A 161, GALI No.4, AMBEDKAR VIHAR, JOHRIPUR, SHAHDARA,
DELHI – 110094.

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/112565/2023

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
E-mail: cexcochi@nic.in **Fax: 0484-2390608** **Phone: 0484-2390404**

NATION TAX MARKET

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT. **Date: .04.2023**

ESTABLISHMENT ORDER NO.44/2023
(Thirvananthpuram GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/77595)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Shri. Mani Singh Rathore**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **20.03.2023 (F.N).**

2. **Shri. Mani Singh Rathore** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Mani Singh Rathore** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 12-04-2023 16:02:58
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. MANI SINGH RATHORE,
EWS 2793, AWAS VIKAS 3, KALYANPUR, DISTT. – KANPUR, UTTAR PRADESH – 208017.

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1125638/2023

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
E-mail: cexcochi@nic.in **Fax: 0484-2390608** **Phone: 0484-2390404**

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT. **Date: .04.2023**

ESTABLISHMENT ORDER NO.43/2023
(Thirvananthpuram GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/77598)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Shri. Devesh Gaurav Singh**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **16.03.2023 (F.N).**

2. **Shri. Devesh Gaurav Singh** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Devesh Gaurav Singh** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 12-04-2023 15:59:59
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. DEVESH GAURAV SINGH,
H.No.597, STREET No.5,
SHALIMAR PARK EXTN., SHAHDARA, DELHI – 110032.

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1153196/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(11)/5/2021-ESTT. Date: .03.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO. 42/2023

Sub: Confirmation in the grade of Inspector – Reg.

In accordance with the instructions in O.M No. 28020/1/2010-Estt(C) dated 21.07.2014 issued by the Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India the following officer of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone is confirmed in the grade of Inspector with effect from the date shown against his name.

Sl. No.	Name (S/ Shri./ Smt.)	Date of birth	Date of confirmation
1.	VIJAY LAXMAN BORADE	23.08.1986	17.03.2023

2. Necessary entries may be made in the Service Book of the individual.

3. This is issued with the approval of the Commissioner.

4. Hindi version follows.

Signed by Anwar Ali T P
Date: 27-04-2023 15:47:45

[ANWAR ALI T. P.]
ADDITIONAL COMMISSIONER [P&V]

To

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

done 03/05/2023

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
2. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise, Kochi.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/1233[redacted]7/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/7/2022-ESTT Date: .06.2023

CIRCULAR

Attention is invited to the following letter received from the DGHRD, New Delhi:

Sl. No.	Letter No. and date	Subject
1.	F.NO. InW/WF-1/MA/103/2021-WLFR-O/o ADG-I and W-DGHRD-Delhi dated 16.08.2021	Grant of financial assistance to persons with disability (being the departmental officials or their dependent family members) for purchase/fitting of aids/appliances (assistive devices)

Copy of the above mentioned letter may be downloaded from the website of Kochi Commissionerate-www.cenexcisekochi.gov.in for information. The circular may be brought to the notice of all the officers working under your formation.

Signed by
Bindu Thankappan Choolakkal
Date: 08-06-2023 17:43:45

Deputy Commissioner [P&V]

To

1. **The Deputy/ Assistant Director of DGGI/DRI/NACIN, Kochi Zonal Unit.**
2. **The Deputy/Assistant Commissioner of divisions under Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Headquarters Kochi.**
4. **The Sports Officer, Central Tax and Central Excise, Hqrs, Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) for uploading in website.**
6. **Notice Board, Hqrs Kochi.**
7. **Notice Board, Central Excise Bhavan, Kathrikadavu.**

Copy to:

1. **The Additional Commissioner (CCO), Hqrs Kochi for information.**

done 08/06/2023

/1207561/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT

CIRCULAR

Sub: AGT 2023 – Non-updation of data in eSevanidhi App – reg.

The list of officers working under Thiruvananthapuram Zone who have not updated their Officer Profile properly is attached as enclosure. All the officers whose names are figuring in the list are requested to update their personal details including designation as well as history of postings (Group B & C), if necessary. The action may be completed urgently so that the Annual General Transfer 2023 orders can be issued without delay. If the details are not properly updated in the database, this office will be forced to take decision based on whatever data we have at our hand.

Encl: as above

Signed by Thevaraparambil Anwar Ali
Date: 26-05-2023 16:46:59
Reason: Approved

(ANWAR ALI T P)
ADDITIONAL COMMISSIONER [P&V]

Copy submitted to:

done 03/08/2023

1. **The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit, Kochi /Appeals, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**

/1207561/2023

3. **The Principal ADG/ADG, DRI Zonal Unit, Kochi/DGGI Zonal Unit, Kochi/NACIN, Kochi.**

Copy to:

1. **The Additional/ Joint Commissioners of Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive)/Appeals, Kochi Commissionerate**
2. **The Deputy/ Assistant Commissioners in charge of Divisions of Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**
3. **All DDOs of Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/Appeals/ Customs (Preventive) Commissionerate**
4. **All Section Heads in Headquarters Office, Kochi**
5. **All General Secretaries of Staff Associations of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
6. **The Superintendent, Systems, Hqrs, Kochi (For uploading in website)**

I/1180[redacted]7/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/7/2/2023-Estt **Date: 11.05.2023**

ESTABLISHMENT CIRCULAR

Attention is invited to the following letter received from CBIC, New Delhi:

Sl. No.	Letter No. and date	Subject
1.	F.No.A.34011/01/2019-Ad.III.A dated 10.05.2023	One time relaxation to appear in Paper-IV (Law) in the grade of Inspector Cadre

Copy of the mentioned letter may be downloaded from the website of Kochi commissionerate - www.cenexcisekochi.gov.in for information.

Signed by Bindu C T
Date: 11-05-2023 14:53:08

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner [P&V]

To

1. **The DC/AC of divisions under Kochi commissionerate.**
2. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi - for uploading on website.**

Copy to:

1. **The Deputy Commissioner (CCO), Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - for information.**

03/08/2023

/1158839/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(3)/4/2023-Estt

CIRCULAR

Sub: Annual General Transfer (AGT), 2023 in Central Tax and Central Excise Commissionerates in Thiruvananthapuram Zone – Extension of date for submission of options - reg.

Please refer to this office Circular dated 13.04.2023 regarding activation of Annual General Transfer module in eSevanidhi App for the officers for online filling of AGT proforma. Since the application was migrated to a new framework and bug fixing is going on based on the difficulties reported by the officers in submitting the AGT proforma, the **last date for receipt of the AGT representations by CCA is extended till 12.05.2023.**

Signed by Anwar Ali T P
Date: 01-05-2023 13:02:05

(Anwar Ali T P)
Additional Commissioner (P&V)

done
03/08/2023

/1158839/2023

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit, Kochi /Appeals, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**
3. **The Principal ADG/ADG, DRI Zonal Unit, Kochi/DGGI Zonal Unit, Kochi/NACIN, Kochi.**

Copy to:

1. **The Additional/ Joint Commissioners of Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive)/Appeals, Kochi Commissionerate**
2. **The Deputy/ Assistant Commissioners in charge of Divisions of Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**
3. **All DDOs of Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**
4. **All Section Heads in Headquarters Office, Kochi**
5. **All General Secretaries of Staff Associations of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
6. **The Superintendent, Systems, Hqrs, Kochi (For uploading in website).**
7. **Notice Board, Hqrs. Office, Kochi.**

I/1253[redacted]5/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/20/57/2022-Estt **Date: 19.06.2023**

OFFICE ORDER

Sub: Work Allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

In partial modification to the letter GEXCOM/II/20/57/2022-Estt dated 19.06.2023, it is hereby ordered that the files relating to Legal Section shall be marked directly to Shri. Shaji John, Joint Commissioner till Shri. Michael T.H., Assistant Commissioner joins in Hqrs Kochi.

2. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

Signed by Bindu C T
Date: 21-06-2023 13:52:38
Reason: Approved

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner [P&V]

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**

done 23/08/2023

Copy submitted to:

1. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi/Aluva Division/Perumbavoor Division.**
2. **The Superintendent (Legal), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1224410/2023

Azadi Ka Amrit Mahotsav

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt **Date: 05.06.2023**

OFFICE ORDER

Sub: Work Allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

Please refer to Order No. 60/2023 dated 02.06.2023 regarding work allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.

2. Smt. Ajitha P., Assistant Commissioner will continue to hold the charge of Kakkanad Division, in addition to her new charges, till Smt. Shanthi V., Deputy Commissioner returns from her leave and takes over the charge of Kakkanad Division.

3. This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

Signed by
Thevaraparambil Anwar Ali
Date: 05-06-2023 12:06:44
[Anwar Ali T.P.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

/1224410/2023

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**